वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2016-17

In the midst of
Death life Persists
In the Midst of
Untruth Truth Persists
In the Midst of
Darkness light persists

MGSA

महात्मा गाँधी सेवा आश्रम

जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.)

विषय सूची

	माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का भाई जी के जन्म दिवस पर संदेश	3
	आभार	4
1.	संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट	5
2.	महात्मा गांधी सेवा आश्रम	9
3.	खादी व ग्रामोद्योग	11
4.	शहद उत्पादन और विपणन	14
5.	खाद्य सुरक्षा एवं पोषण विविधता कार्यक्रम	17
6.	जल, जंगल और जमीन आधारित आजीविका के संसाधनों पर लोगों का अधिकार	22
7.	बेटी पढ़ाओं बेटी बढ़ाओ कार्यक्रम	29
8.	चाइल्ड लाइन, श्योपुर	31
9.	स्वच्छ जबलपुर स्वस्थ जबलपुर अभियान	36
10.	सूखा राहत कार्यक्रम	38
11.	जैविक खेती प्रोत्साहन केन्द्र व जैविक खाद निर्माण	42
12.	भाई जी शांति एवं सद्भावना केंद्र	43
13.	भाई जी का जन्मोत्सव समारोह	44
14.	आगामी कार्य योजना	46

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का भाई जी के जन्म दिवस पर संदेश

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री
Prime Minister

MESSAGE

Heartiest congratulations to Dr. S.N. Subba Rao on his 89th birthday being celebrated in Mahatma Gandhi Sewa Ashram, Joura.

Bhaiji has dedicated his life in building the future of youth. His efforts towards youth empowerment are commendable. I am hopeful that he will continue to inspire and guide younger generation with his vision and actions.

My best wishes for Bhaiji's long, healthy and prosperous life.

(Narendra Modi)

New Delhi
06 February, 2017

आभार :

देश और दुनिया मे अहिंसा, न्याय, शांति, सद्भावना एवं मूल्यों पर आधारित समाज की रचना की चर्चायें तो बहुत हो रही हैं लेकिन प्ररेणा देने वाले व्यक्तित्व और नए समाज की रचना के व्यवहारिक प्रयोग एवं सामाजिक बदलाव से सीख लेने के प्रेरणादायक स्थानों का भी अभाव है।

महात्मा गांधी सेवा आश्रम की स्थापना भी एक विशेष प्रयोजन से हुई थी जहां पर अहिंसा के प्रयोग का इतिहास लिखा गया। गांधीवादी तरीके से दुनिया में अहिंसा के समर्पण की पहली घटना थी जिसमें गाँधी को जमीन पर उतारने का काम महान गांधीवादी संत भाईजी ने चम्बल घाटी में किया और उनके इस काम में राजू भाई ने सहयोग दिया जिससे मुरैना जिले के अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में हिंसा के समर्पण का इतिहास लिखा गया।

प्रांरभ से ही भाई जी कार्यकर्ता निर्माण के प्रति बहुत ही संवेदनशील रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप युवा शिविर के माध्यम से देश भर के लाखों नवजवान उनसे प्रेरित होकर समाज सेवा के कार्य में संलग्न हैं। भाई जी की इस भावना को आश्रम सदैव आगे ले जाने के प्रयास में लगा हुआ है। इसी सोच को लेकर जौरा में भाई जी शांति एवं सद्भावना केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है, जहां भाई जी से जुड़े अनुभवों और कार्यो को आने वाली पीढ़ी के प्रेरणा के लिए रखा जा सके तथा अहिंसक समाज की रचना के लिए कार्यकर्ता निर्माण का कार्य निरंतर किया जा सके।

विगत् वर्ष आश्रम के द्वारा भूख मुक्त और भय मुक्त समाज की रचना के लिए किये गये प्रयासों ने एक नई राह स्थापित की है। चाहे खादी ग्रामोद्योग के अंतर्गत महिला समूह के द्वारा शहद उत्पादन का कार्य हो, कुपोषण से निपटने के लिए पोषणवाड़ी कार्यक्रम हो, बाल अधिकारों के संरक्षण व संवर्धन की बात हो अथवा वंचित समुदाय के नैसर्गिक संसाधनों पर अधिकार हासिल करने की बात हो, इन सभी कार्यो की सराहना अन्य संगठनों तथा शासन के द्वारा भी की गयी है।

मुझे इस बात की खुशी है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 की प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आश्रम की निरंतर प्रगति और समर्पित सेवा भाव के लिए मैं विशेषरूप से कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्यों, संस्था के ऊर्जावान, समर्पित व संकल्पित कार्यकर्ता साथियों, दानदाता संस्थाओं/व्यक्तियों और शुभचिंतकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जो सदैव संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं।

रनसिंह परमार
सचिव
महात्मा गांधी सेवा आश्रम, जौरा

1. संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट :

वित्तीय वर्ष 2016-2017 प्रगति एवं उपलब्धियाँ एक नजर में :

संवाद, रचना, सहयोग और समाज तथा सरकार के बीच तालमेल के माध्यम से न्याय, शांति, सद्भावना, अहिंसा तथा आत्म स्वावलंबन पर आधारित नए समाज की रचना में इस वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण हस्तक्षेप तथा प्रयास किए गए। जिसके फलस्वरूप समता मूलक समाज के निर्माण की दिशा में जागरूकता, क्षमता विकास, समुदाय सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई तथा चुनौतियों से निपटने में नई सीख के साथ सामूहिक प्रयास के रूप में एक कारगर रणनीति पर काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ। इन्हीं अनुभवों का संक्षिप्त विवरण यहां प्रस्तुत किया जा रहा है–

1.1 आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से कताई, बुनाई एवं प्रसंस्करण के अतिरिक्त विकास की दिशा में वर्ष में कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं हुई है, लेकिन गत् वर्ष से लगातार काम करने वाले कामगारों को नियमित रूप से रोजगार उपलब्ध कराने में निश्चित रूप से कामयाबी मिली है। कामगारों को नियमित रूप से काम देकर सूत कताई में 450 कामगारों को 10 लाख रूपये, 50 से अधिक बुनकरों को 7 लाख तथा प्रसंस्करण के कारीगरों को (रंगाई, धुलाई, सिलाई) में लगभग 10 लाख रूपये का पारिश्रमिक दिया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 500 कामगारों को 27 लाख रूपये से अधिक की मजदूरी भुगतान की गई। ये सभी श्रमिक भारत सरकार की बीमा योजना के तहत पंजीकृत हैं। कामगारों के 25 बच्चों को पढ़ाई जारी रखने के लिए शिक्षण सहायता निश्चित रूप से उपलब्ध कराई गई। इसी प्रकार ग्रामोद्योग के अंतर्गत मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। खादी उत्पादन तथा बिक्री एक दूसरे के पूरक हैं। इस वर्ष उत्पादन से फुटकर बिक्री अधिक है अतः आगामी वर्ष में ऐसे उत्पाद की खोज कर रहे हैं जिसको खादी भण्डारों से विक्रय किया जा सके।

1.2 श्योपुर जिले में पिछले कुछ वर्षों से कुपोषण से बच्चों की मृत्यु की खबरें आ रही हैं। गर्भ में भ्रूणधारण से लेकर स्कूली शिक्षा की उम्र तक सरकारी योजनाओं के अंतर्गत पोषण की पूरी व्यवस्था होने और खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन के बावजूद भी कुपोषण से बच्चों की मौत की खबरें आश्चर्यजनक हैं। इस विकट परिस्थिति से निपटने के लिए महात्मा गांधी सेवा आश्रम ने दानदाता संस्था के साथ मिलकर खाद्य सुरक्षा एवं पोषण विविधता के माध्यम से श्योपुर जिले को कुपोषण से बाहर लाने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम को जिले की 1180 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चलाना है। प्रथम चरण में, आश्रम ने सभी 1180 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण में विविधता लाने तथा नवजात शिशुओं के कुपोषण से बचाव के संबंध में चार चक्र प्रशिक्षण देने का काम किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से अभी तक 15 से 49 वर्ष की 70 हजार महिलाओं तक सहभागी सीखने की प्रक्रिया को साझा किया जा चुका है। पूरे जिले में 15 से 49 वर्ष की 1 लाख 47 हजार महिलायें है। संस्था का मानना है कि यदि ये जागरूक और सक्षम होकर बच्चों के प्रति संवेदनशील बन जायें तो कुपोषण जैसी महामारी से जिले को मुक्त किया जा सकता है। इसी के साथ–साथ नवजात (0 माह से लेकर 22 माह तक के) शिशुओं की देखभाल करने के तरीकों को भी प्रशिक्षण में शामिल किया गया है। जहां एक तरफ सभी लक्ष्य महिलाओं को जागरूक करते हुए उनकी क्षमताओं का विकास किया जायेगा वहीं दूसरी तरफ सरकार की योजनाओं तक समुदाय की पहुँच को

सरल और सुगम बनाया जायेगा। जिले की गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की लगातार निगरानी इस अभियान के तहत की जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को सरकार के द्वारा दिया जाने वाला पोषण आहार नियमित रूप से मिले और वे नियमित रूप से ग्रहण भी करें तथा नवजात शिशुओं के लिए भी नियमित रूप से पोषण आहार निर्विवाद रूप से उपलब्ध रहे। इसको सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक स्कोर कार्ड की प्रक्रिया के माध्मय से हितग्राही एवं सेवा प्रदाताओं की संयुक्त बैठक कर आमने–सामने उन योजनाओं के बारे में परिचय कराया जाता है, जो सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। हितग्राही एवं सेवाप्रदाता के बीच की दूरी कम करते हुए आपसी व्यवहार को मजबूत किया जाता है। पोषण विविधता के इस अभियान में पोषणवाड़ी के विकास एवं संरक्षण के बारे में समुदाय को जागरूक करना, पोषणवाड़ी लगाने के लिए उनकी क्षमताओं में वृद्धि करना और पोषणवाड़ी के माध्मय से वर्ष भर परिवार को सब्जी–भाजी की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। इस वर्ष 50 गांवों में 2000 परिवारों के यहां पोषणवाड़ी लगाने का प्रयोग शुरू किया गया तथा लगभग 10 हजार फलदार विशेष रूप से पपीता, सहजन, आंवला, आम, अमरूद तथा नींबू के पौधों का रोपण किया गया हैं। नहाने–धोने एवं बर्तन साफ करने में लगने वाले पानी से सब्जियां उगाने के बारे में भी समुदाय को तैयार किया गया। यह पहली बार हुआ जब सहरिया आदिवासी परिवारों ने बड़े पैमाने पर कद्दू, लौकी, तोरई, टमाटर, बैंगन, मिर्च, सैम आदि सब्जियों को उगाया तथा उसका उपयोग किया जिससे निश्चित रूप से उनके पोषण की स्थिति में बदलाव आने लगा है। इस कार्यक्रम को प्रशासन ने सराहा है।

1.3 जल, जंगल, जमीन पर समुदाय के अधिकार एवं उसके संवर्धन के माध्यम से आजीविका के लिए आत्मनिर्भर समुदाय :

इस कार्यक्रम के तहत आश्रम छः राज्यों के 18 जिलों में काम कर रहा है जिसमें मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, आसाम तथा मणिपुर शामिल है। 850 गावों में समुदाय जागरूकता, क्षमता विकास तथा समुदाय सशक्तिकरण के माध्मय से जीवन जीने के संसाधन जमीन तथा जंगल पर समुदाय के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए जैविक खाद का उपयोग कर भूमि आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के माध्यम से स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर समाज के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 85 कार्यकर्ता अलग–अलग राज्यों में कार्यरत हैं। वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के तहत लक्ष्य परिवारों को भूमि का अधिकार दिलवाना, प्राप्त वनभूमि के विकास को परम्परागत ढंग से संरक्षण एवं संवर्धन करते हुए टिकाऊ एवं आत्मनिर्भर समुदाय का निर्माण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में गरीब समुदाय के हित में नीतियों तथा कानूनों को गरीबोन्मुखी बनाने के लिए प्रांतीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर जन वकालत भी की जा रही है। इस वर्ष 3700 लोगों को वन मान्यता अधिनियम 2006 के तहत मालिकाना हक मिल चुका है और 1950 आवासहीन परिवारों को आवास के लिए भूमि के अधिकार प्रत्र हांसिल हुए। समुदाय तथा कार्यकर्ताओं के क्षमता विकास के लिए कानूनी प्रशिक्षण, जैविक खेती प्रशिक्षण तथा वन कानून प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये।

1.4 बेटी पढ़ाओं अभियान :

श्योपुर जिले में बालिकाओं में साक्षरता प्रतिशत बहुत कम है संस्था द्वारा, इम्पैक्ट की मदद से ऐसी बालिकाओं के लिए जो कभी स्कूल नहीं गई या पढ़ाई बीच में छोड़ दिया, उनके लिए ऐसे 40 प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों का संचालन श्योपुर में किया जा रहा है। प्रत्येक केन्द्र में 30 बालिकाओं को पंजीकृत किया गया है। इन 30 बालिकाओं को अधिकतम् 5 साल तक केन्द्र के माध्यम से पढ़ाया जायेगा। जो बालिकाऐं 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कर

लेंगी उनको शासकीय विद्यालयों में भर्ती करवाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा। वर्तमान में 1200 बालिकाओं के साथ बेटी पढ़ाओं अभियान चल रहा है। इसमें 40 शिक्षक, 4 पर्यवेक्षक तथा 1 कार्यक्रम समन्वयक, 1 सहयोगी, 1 सलाहकार कुल 47 महिला–पुरूष कार्यकर्ता मिलकर पूरे अभियान का संचालन कर रहे हैं।

1.5 चाइल्ड लाइन :

भारत सरकार तथा चाइल्ड इंडिया फाउन्डेशन की मदद से श्योपुर जिले में सभी जरूरतमंद बच्चों को सहायता उपलब्ध कराने, हर मुसीबत में बच्चों को सहयोग देने, बच्चों के अधिकार को दिलाने के लिए संबंधित योजना से जोड़ने तथा 24 घंटे मदद उपलब्ध कराने के लिए चाइल्ड लाइन काम कर रहा है। इसमें 9 लोगों का समूह काम कर रहा है। इस वर्ष 967 प्रकरण पंजीकृत किए गए जिसमें खोए हुए बच्चों को उनके पालकों से मिलाया गया तथा बीमार बच्चों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई गई। बाल मजदूरों को मजदूरी से अलग करके बाल संरक्षण गृह की देखरेख में पढ़ाई तथा अन्य जरूरतों की व्यवस्था की गई। चाइल्ड लाइन श्योपुर जिले के बच्चों के अधिकार, संरक्षण एवं सहायता प्रदान करने के लिए 24 घंटे तत्पर है।

1.6 मधुमक्खी पालन :

350 दलित महिलाओं को प्रशिक्षण देने के पश्चात् मधुमक्खी पालन के साथ जोड़ा गया। ये महिलायें अब स्वतंत्र रूप से मधुमक्खी पाल रही हैं। मधुमक्खियों की देखभाल करना, आपात स्थिति में मधुमक्खियों के लिए भोजन उपलब्ध कराना, फ्लोरा वाले क्षेत्रों में पलायन कराना, शहद निकालना, तथा शहद को प्रसंस्करण इकाई तक पहुंचाने का काम दो समूह की महिलायें सफलता पूर्वक कर रही हैं। 31 मार्च 2017 तक मधुमक्खी पालन से 4.50 लाख मूल्य के शहद का उत्पादन हुआ। यह धनराशि दोनों महिला समूहों को बांट दी गई। दोनों महिला समूह अपनी जरूरत के अनुसार इस धनराशि के लेन–देन के काम को कर रही हैं। प्रारंभ में दोनों समूहों को 100 मधुमक्खियों के बॉक्स दिये गये जो अभी बढ़कर दोनों समूह के लगभग 300 बॉक्स हो गये। मधुमक्खी पालन में और महिलाओं को जोड़ने तथा स्वतंत्र रूप से मधुमक्खी पालन को फैलाने के लिए एक उत्पादक कंपनी का पंजीकरण किया गया है। यह कंपनी स्वतंत्र रूप से मधुमक्खी पालन, शहद निकालने एवं बेचने का काम करेगी। आश्रम इन समूहों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करायेगा।

1.7 स्वच्छ जबलपुर–स्वस्थ जबलपुर अभियान :

जबलपुर शहर की 33 मलिन बस्तियों में 'स्वस्थ जबलपुर–स्वच्छ जबलपुर' अभियान आश्रम के द्वारा संचालित किया गया। इस अभियान में 9 कार्यकर्ता काम करते हैं। अब नगर–निगम जबलपुर के आर्थिक मदद से चलाया जायेगा। इस अभियान में इस वर्ष में 350 परिवारों को शौचालय बनवाने के लिए तैयार किया गया तथा 16 मलिन बस्तियों को खुले में शौंच से मुक्त करने का लक्ष्य प्राप्त किया गया।

1.8 सूखा राहत व जल संचयन :

श्योपुर जिले में भीषण सूखा और पानी का संकट था, फरवरी 2016 में ही अधिकांश जल स्रोत सूख चुके थे और कुछ एक का जल स्तर बहुत कम हो गया था। इस स्थिति में आश्रम की ओर से 'सबको दाना–सबको पानी' अभियान चलाया गया। अभियान के मुख्य चार कार्यक्रम इस प्रकार थे –

1.8.1 टैंकर द्वारा पानी की सप्लाई :

ऐसे गांव जहां पांच किलोमीटर से भी अधिक दूरी से बैलगाड़ी से पानी ढो रहे थे। ऐसे 12 गांव में चार टेंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति की गई। यह जलापूर्ति 01 अप्रैल से लेकर 20 जून 2016 तक की गई। वर्षा

आरंभ होने से जल स्रोतों में पानी आ जाने के बाद इसे बंद किया गया।

1.8.2 निःशक्त, निःसहायों को खाद्यान्न :

ऐसे 403 परिवारों का चिन्हित किया गया जो निःशक्त एवं निःसहाय थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति परिवार में नहीं था। इन सभी 403 परिवारों को तीन महीने तक आटा, दाल, नमक तथा तेल उपलब्ध कराया गया एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या पड़ोसी के माध्यम से उनको नियमित रूप से पका हुआ भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई।

1.8.3 जनरेटर सेटों से पानी के लिए बिजली की आपूर्ति :

जिन गांवों में गहरे बोरवेल थे लेकिन बिजली के अभाव में मोटर नहीं चल रही थी ऐसे सात गांवों में अस्थायी रूप से जनरेटर की सुविधाऐं उपलब्ध करवाई गई जिससे इन गांवों के लोगों को तीन महीनें तक लगातार जल उपलब्ध कराया गया।

1.8.4 जल संरक्षण व संवर्धन के लिए संरचना का पुनर्निर्माण :

लोगों के पास न तो रोजगार था और न ही खाद्यान्न, इस विकट स्थिति में काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम का संचालन चार गांवों में किया गया जिसमें 650 लोगों ने कार्य किया एवं 450 क्विंटल अनाज का वितरण हुआ। इन चारों गांवों में चार बांधों का निर्माण पूरा किया गया जिसके परिणाम स्वरूप उन गांवों में भूजल स्तर बढ़ा और मवेशी तथा सिंचाई के लिए पानी रूका। एक गांव में 54 बीघा जमीन में खेती के लिए पानी देकर सरसों पैदा की गई। एक गांव में सूखा हुआ कुंआ रिचार्ज हुआ, जिसमें अभी भी 7 फीट पानी भरा है। यह काम सावड़ी, अधवाड़ा, कपूरिया तथा गांधीधाम में किया गया।

1.8.5 पशुओं के लिए चारा :

पानी के अभाव में पशुओं के आहार की कहीं भी व्यवस्था न होने के कारण गाय मर रहीं थीं। अतः गायों के आहार के लिए चारे की व्यवस्था की गई, इसके लिए चारा डिपो खोला गया।

1.9 जल संरचनाओं को रिचार्ज करना :

जल स्तर के निरंतर गिरने से हैंडपंप, कुंआ तथा बोरवेल सूखते जा रहे हैं ऐसी स्थिति में तकनीकी संस्था एफ्रो की मदद से चार गांवों में 22 संरचनाओं का निर्माण किया गया। प्रत्येक संरचना से औसतन 6 लाख लीटर पानी जमीन के अंदर डालने की योजना तैयार की गई। धरती के अंदर पानी डालने की संरचना बनार, झरेर, अजनोई, डाबली आदि गांव में बनाई गईं। हालांकि इन गावों में जल स्तर बढ़ाने में इन संरचनाओं का आंशिक प्रभाव हुआ है।

2. महात्मा गांधी सेवा आश्रम

मुरैना जिले के बहुत छोटे से कस्बे जौरा में स्थित महात्मा गांधी सेवा आश्रम महज किसी परिसर अथवा भवन या न्यास का नाम न होकर उन आदर्शों एवं संस्कारों का नाम बन गया है जो यह अपने स्थापना काल से बांटता आ रहा है। गांधी के विचार यहां भाषण एवं वक्तव्य का विषय न होकर आचरण की विषय वस्तु है।

डॉ. एस.एन. सुब्बराव जी ने अपने सहयोगी डा. राजगोपाल पी.व्ही (राजू भाई) के साथ इसकी स्थापना 47 वर्ष पूर्व सन् 1970 में उस समय की जब चंबल की धरती डकैत समस्या के अभिशाप से ग्रस्त थी इसकी स्थापना का उद्देश्य भले ही डकैत समस्या का समाधान ढूंढना नहीं हो लेकिन अपनी स्थापना के महज दो वर्ष बाद ही डकैत समस्या जैसा असंभव सा काम कर दिखाया।

हिंसा एवं खून खराबे के स्याह अंधेरों में डूबी चंबल की वादियों एवं विकास से कोसों दूर यहां के रहवासियों को शायद इस बात का सपनों में भी गुमान नहीं होगा कि यहां की हिंसक प्रतिरोध की प्रवृति कभी बदल सकेगी। डकैत गिरोह एवं गोलियों की गड़गड़ाहट से सदा गूंजने वाली चम्बल घाटी की गोद में कभी अमन एवं शांति की शीतल बयार प्रवाहित हो सकती है, लेकिन उस दौर में असंभव सा दिखने वाला यह काम आज मुमकिन हो गया है। चम्बल के बीहड़ों में ना तो सन् साठ के दशक के डकैतों जैसी दहशत है और ना ही हिंसक प्रतिशोध के वैसे भयावह किस्से ही अब कहीं सुनने को मिलते हैं। चम्बल की वादियों में अपूर्व शांति की वजह दक्षिण भारत का वह सन्त है जिसने अपना समूचा जीवन इसके श्रंगार में खपा दिया। दक्षिण भारत से आये इस संत ने अपने जीवन की परवाह किये बगैर इसे अपना कर्मक्षेत्र बना इसकी सेवा में रम गये।

अपनी स्थापना के बाद से ही निरंतर शांति और सद्भाव के मंद झोंके प्रवाहित करने वाले इस अनोखे तीर्थ की विश्वव्यापी पहचान के पीछे इसके संस्थापक श्री डॉ. एस.एन. सुब्बराव के जीवन की समूची साधना लगी है। इसकी स्थापना का उद्देश्य भी उतना ही पावन, पुनीत था जितना किसी तीर्थ की स्थापना का होता है।

संस्था का लक्ष्य :

समानता, सामूहिकता और न्याय पर आधारित शोषण, अत्याचार व अन्याय से मुक्त समाज की रचना करना।

उद्देश्य :

- लोगों को प्रगतिशील सामाजिक कानूनों के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाना ताकि इसके क्रियान्वयन से सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके।
- ग्राम आधारित संगठनों को उत्प्रेरित करना ताकि वे पंचायती राज संबंधी नियमों तथा सामाजिक कानूनों को वंचित समुदाय की अपेक्षाओं के अनुरूप केन्द्रित कर सकें।
- स्थानीय, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर उन मुद्दों की जनवकालत करना जिस पर जनसहभागी स्वशासन की अवधारणा के अनुरूप परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है ताकि आदिवासी, दलितों तथा वंचितों को जीविकोपार्जन के अधिकार सुनिश्चित हो सकें।
- जीविकोपार्जन के संसाधनों पर पर्यावरणीय तथा सामाजिक अधिकारों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना।

- सामाजिक एवं पर्यावरणीय न्याय के लिये जनवकालत करने हेतु पंचायतों एवं सभाओं को इस संबंध में किये गये अधिकारों की विस्तृत एवं व्यवहारिक समीक्षा करना ताकि उनकी कमियों को दूर किया जा सके।

कार्यक्षेत्र :

महात्मा गांधी सेवा आश्रम वर्तमान में देश के 7 राज्यों मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओड़िसा, राजस्थान, आसाम और मणिपुर में कार्य कर रहा है।

My vision of India : -

1. Free from Violence.
2. Free from unemployment and Hunger.
3. Free from vices Like Smoking, Drinking, Drugs etc.
4. Free from corruption.

-Dr. S.N. Subba Rao

3. खादी व ग्रामोद्योग

'खादी वस्त्र नहीं एक विचार है।' यही कारण है कि खादी को अपने देश में एक भावनात्मक मूल्य हांसिल है। यह महात्मा गांधी और देश की आजादी से जुड़ा हुआ है। खादी के प्रथम डिजाइनर महात्मा गांधी जी थे। सर्वप्रथम गांधी जी ने सभी भारतीयों को खादी वस्त्र पहनने की अपील की। उन्होनें स्वतंत्रता संग्राम के राजनीतिक विचारों और प्रेरणा का प्रतीक खादी को 1920 में बढ़ावा देना शुरू किया। खादी पूर्णतया स्वदेशी माल व मानव निर्मित होने से भारत के प्रतिरोध और क्रांति का प्रतिनिधित्व किया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता में खादी और ग्रामोद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है। खादी की सामग्री से ही अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण होता है। महात्मा गांधी सेवा आश्रम अपने स्थापना से लेकर अभी तक खादी व ग्रामोद्योग कार्यक्रम संचालित करता आ रहा है। इसके अंतर्गत आश्रम खादी वस्त्रों का उत्पादन और विपणन तथा ग्रामोद्योग के अंतर्गत शहद उत्पादन, प्रसंस्करण केन्द्र तथा विपणन का कार्य अपने उत्पाद केन्द्र और चार विक्रय केन्द्रों के माध्यम से कर रहा है।

उद्देश्य :

खादी व ग्रामोद्योग कार्यक्रम का निम्नलिखित उद्देश्य है–

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना।
- बेरोजगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना।
- उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना।

गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ :

- **खादी वस्त्र उत्पादन :**

चरखा के महत्व व उपयोगिता गरीबी के खिलाफ एक अहिंसात्मक अस्त्र के रूप में उभरा है। खादी स्वयं का रोजगार अपना कर गर्व, सम्मान और स्वावलम्बल के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। खादी का उत्पादन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाता है। यह आसानी से पसीना सोखता है और पहने में ठंडा और शुष्क रहता है। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खादी की बुनाई और धागे की कताई का काम होता है। पहले दरी–फर्श का काम आश्रम प्रांगण में ज्यादा होता था, विगत कुछ वर्षों में इसका काम कम हुआ है। इसका प्रमुख कारण बाजार में मोटी खादी की मांग कम हो जाना है। अब मोटी खादी को ज्यादा लोग पसंद नही करते हैं इसलिये आश्रम में भी मोटी खादी का उत्पादन नहीं कर बाजार की मांग के अनुसार साफी, सफेद शर्टिंग, कम्बल का उत्पादन किया जा रहा है। खादी ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार द्वारा आवंटित खादी उत्पादन लक्ष्य संस्था ने पूरा किया है। वर्ष 2016–17 का खादी उत्पादन विगत वर्षो की तुलना में निम्न प्रकार है–

सारणी क्रमांक – 1 खादी उत्पादन की वर्षवार जानकारी (लाख रूपयों में)

विवरण	2014 –15	2015–16	2016–17
सूती खादी	18.49	22.30	19.51
ऊनी खादी	5.74	6.65	7.19
पोली वस्त्र	8.78	9.38	9.68
कुल	33.01	38.33	36.38

- **खादी वस्त्र तथा ग्रामोद्योग की वस्तुओं का विपणन :**

वर्तमान दिनों में खादी वस्त्र को अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर कपड़े और ब्राण्ड के रूप में लोग अपनाने लगे हैं। खादी के सारे रंग त्वचा के लिये अनुकूल होने के कारण वर्तमान में ये इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि लोग विशेष अवसरों पर इस कपड़े की उपयोगिता को महत्व दे रहे हैं। यह दुनिया भर के प्रख्यात डिजाइनरों द्वारा खादी का कई रंगो में और परिधानों में डिजाइन किया जा रहा है। पूर्व में यह ग्रामीण, श्रमिकों और किसानों के लिये कपड़े के रुप में होता था लेकिन अब खादी कपड़े को उच्च वर्ग के लोग भी पसन्द कर रहे है। नये–नये मांग के अनुसार सूती, ऊनी, पोली जाकेट, शर्ट, कुर्ता तथा पजामा रेडीमेड तैयार कर भण्डारों के द्वारा बेचा जा रहा है। इसके साथ ही आश्रम के विक्रय केन्द्रों से ग्रामोद्योग की उत्पाद का भी विक्रय किया जाता है। वर्ष 2016–17 में खादी व ग्रामोद्योग उत्पाद का विपणन विगत वर्षो की तुलना में निम्न प्रकार है –

सारणी क्रमांक – 2 खादी तथा ग्रामोद्योग विपणन की वर्षवार जानकारी (लाख रूपयों में)

विवरण	2014 –15	2015–16	2016–17
सूती खादी	18.85	27.05	23.85
ऊनी खादी	14.49	11.23	11.07
रेशम खादी	2.58	06.57	3.71
पोलीवस्त्र	20.87	31.45	25.17
ग्रामोद्योग	3.43	03.35	3.24
कुल	60.22	79.65	67.04

सारणी क्रमांक–3 केन्द्रवार खादी की बिक्री की जानकारी (लाख रूपयों में)

विवरण	मुरैना भंडार	ग्वालियर भंडार	श्योपुर भंडार	खादी मंदिर जौरा	टोटल
सूतीखादी	1170504	703608	245679	265460	2385251
ऊनी खादी	793050	180725	45670	87900	1107345
रेशम खादी	223170.75	104056	3490	40590	371306.75
पॉली खादी	1173426	701416	365789	275500	2516131
ग्रामोद्योग	72895	210902	17890	23010	324697
टोटल	3433045.75	1900707	678518	692460	6704730.75

- **खादी वस्त्र व ग्रामोद्योग वस्तुओं के प्रोत्साहन के लिए प्रदर्शनी :**

दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी में भी आश्रम की खादी व ग्रामोद्योग इकाई द्वारा भागीदारी की गयी। महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा प्रदर्शनी में खादी, शहद और बर्मी कम्पोस्ट का दुकान लगाया गया।

- **कत्तिन, बुनकर व कामगारों को मजदूरी, सुरक्षा व योजनाओं से जुड़ाव :**

सूत कताई में 450 कामगारों को नियमित रूप से काम देकर 10 लाख रूपये का पारिश्रमिक वितरित किया गया है। 50 से अधिक बुनकरों को 7 लाख तथा प्रसंस्करण में काम करने वाले कारीगरों को (रंगाई, धुलाई, सिलाई) में लगभग 10 लाख रूपये का पारिश्रमिक दिया गया हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 500 कामगारों को 27 लाख रूपये से अधिक की श्रम इकाई भुगतान की गई है। ये सभी श्रमिक भारत सरकार की बीमा योजना के तहत पंजीकृत हैं लेकिन इस वर्ष के दौरान ऐसी कोई घटना प्रकाश में नहीं आई जिसके तहत इन कामगारों को दुर्घटना बीमा का लाभ मिल सकता था। कामगारों को 25 बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए शिक्षण सहायता निश्चित रूप से उपलब्ध कराई गई है।

कश्मीर हो या कन्याकुमारी,

भारत माता एक हमारी।

- डॉ. एस. एन. सुब्ब राव

4. शहद उत्पादन और विपणन

प्राचीन काल से ही मनुष्य को छोटे कीटों मधुमक्खी द्वारा उत्पन्न किये मीठे तथा स्वादिष्ट पदार्थ मधु की जानकारी थी। जीव वैज्ञानिकों के मतानुसार पृथ्वी पर मधुमक्खी का प्रादुर्भाव मनुष्य से कई लाख वर्ष पूर्व हुआ था। वह मधुमक्खी के छत्तों को काट कर अपने खाने के लिये शहद प्राप्त करता था। लेकिन उस समय मधुमक्खी पालन की कला का ज्ञान नहीं था। वैदिक धर्म ग्रंथों रामचरित मानस तथा दुर्गा-शप्तशती में भी मधु-वाटिका का उल्लेख मिलता है तथा संस्कृत भाषा में शहद के लिये मधु शब्द प्रयोग में लाया जाता था। इसका उल्लेख 3000-4000 ईसा पूर्व लिखे गये वेद तथा उपनिषदों में मिलता है। स्पेन की कंदराओं मे भी मधु इकट्ठा करने का चित्र मिलता है, ये चित्र 7000 ईसा पूर्व के हैं। मानव सभ्यता का विकास होता गया, मानव अनेक क्षेत्रों में वैज्ञानिक खोंजो से आगे बढता गया। इसी दौरान पाया गया कि मधुमक्खी के शहद के अतिरिक्त अन्य उत्पाद (जैसे प्राकृतिक मोंम, पराग, प्रोपोलिस, रायल जेली, डंक, विष) भी हैं, जो मनुष्य के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी हैं तथा मधुमक्खी के पर परागण से अनेक फसलों एवं फलों के उत्पादन में वृद्धि भी होती हैं। महात्मा गांधी सेवा आश्रम सन् 1999 से भारत सरकार के "केंद्रीय मधुमक्खी अनुशंधान एवम प्रशिक्षण संस्थान (खादी एवम ग्रामोधोग आयोग) पुणे" की मदद से शहद के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया।

परिणाम एवं सफलतायें :

गतिविधियां और उपलब्धियाँ :

- **शहद संग्रहण उत्पादन, प्रशोधन एवं विपणन :**

आश्रम द्वारा शहद उत्पादन, संग्रहण प्रशोधन एवं विपणन कार्य किया जा रहा है। आश्रम के शहद संग्रहण केन्द्र से मधुमक्खी पालकों व शहद संग्रहण करने वाले के साथ शहद का दर प्रोमोट करने का काम किया जाता है, जिससे कि उनके श्रम और उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके। आश्रम के पास उच्च तकनीकी किंतु कम क्षमता का प्रशोधन केन्द्र और भण्डारण केन्द्र हैं, जहां पर संग्रहित किये गये शहद का प्रशोधन वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। शहद प्रशोधन के बाद शुद्धता की जांच की जाती है और फिर बाटलिंग प्लांट के जरिये अलग-अलग माप जैसे 1 किलोग्राम, 500 ग्राम और 200 ग्राम के बोतल में पैक किया जाता है। मांग के अनुसार शहद की आपूर्ति बोतल बंद और खुले में किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016-2017 में संग्रहण और बिक्री निम्न प्रकार रही-

सारणी क्रमांक - 4 शहद संग्रहण और विपणन की जानकारी

संग्रहण खरीद	बिक्री	रोजगार संख्या
2494365.00	3678930.00	296

- **शहद के विपणन के लिए नया प्रयोग :**

इस वर्ष पाउच पैकिंग मशीन भी लगाया गया है जिससे कि शहद को पाउच में पैक कर उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार विपणन किया जा सके।

- **पर्यावरणीय सुरक्षा और रोजगार के लिए मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केन्द्र :**

महात्मा गांधी सेवा आश्रम जौरा के द्वारा विगत सन् 1999 से मधुमक्खी पालन एवं जंगली शहद वैज्ञानिक

विधि से निकालने का प्रशिक्षण दे रहा है। जिससे मधुवंश और शहद की गुणवत्ता पर प्रभाव न पड़े। संस्था के पास प्रशिक्षण के लिये सारे आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। अप्रशिक्षित शहद संग्रहणकर्ता पारम्परिक तरीके से मधुमक्खियों के छत्ते को जलाकर शहद निकालते थे जिससे मधुमक्खियों के वंश खत्म होने का खतरा था। पर्यावरण को नुकसान पहुचता था – वैज्ञानिक विधि से शहद निकालने पर पर्यावरण के साथ न्याय होता है। देश के अधिकांश भू–भाग फसलों, सब्जियों, फलोधानों, जडी–बूटियों, वनों, फूलों, एवं औषधीय पौधों से आच्छादित हैं। जो प्रतिवर्ष फल व बीज के साथ ही साथ पुष्परस और पराग को धारण करते हैं किंतु उसका भरपूर सदुपयोग नहीं हो पाता है बल्कि इस बहूमूल्य उपज के अंश का दोहन न किये जाने से धूप, वर्षा एवं ओलों के कारणवश प्रकृति में पुनः विलीन हो जाता है। इस काम में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं है। इसे देखते हुए आश्रम के द्वारा बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है।

मुरैना जिला में शहद उत्पादन व विपणन की बहुत सम्भावानायें हैं। मुरैना जिला के 70 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर है और यहां का फसल चक्र शहद उत्पादन के अनुकूल है। मुरैना जिला एन.एच.–3, आगरा से मुम्बई रोड व मुख्य रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है, इसलिये यहां बाहर के व्यापारी भी शहद खरीदने के लिये आकर्षित होते हैं। यह व्यवसाय मध्यप्रदेश में काफी लोकप्रिय हो रहा है। मध्यप्रदेश के चम्बल क्षेत्र के मुरैना, भिण्ड, श्योपुर, ग्वालियर जिले में यह व्यवसाय काफी अच्छा उभर कर आ सकता है। संस्था द्वारा चम्बल क्षेत्र का सर्वे कर फसल चक्र का कैलेंडर तैयार किया जा चुका है जो मधुमक्खी पालन व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसके साथ ही गर्मी के महीनों में मधुमक्खियों के बाहर ले जाकर सुरक्षित करने के लिए आस–पास के जिलों और राज्यों का फ्लोरा कैलेंडर तैयार किया गया है।

पूर्व में इस क्षेत्र में मधुमक्खी पालन को कोई नहीं जानता था, अब इस क्षेत्र में 210 लोगों को प्रशिक्षण देने के बाद 42 मधुमक्खी पालक सफलता पूर्वक काम कर रहे हैं। शहद केंद्र के स्थापना से पूर्व शहद संग्रहणकर्ता को प्रति माह 1000–1500 रुपये की आमदनी होती थी, वर्तमान में 5500–6500 रुपये की आमदनी होती है। संस्था द्वारा 345 शहद संग्रहण करने वाले पुरूषों तथा 210 मधुमक्खी पालकों और 150 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। मधुमक्खी पालकों की वार्षिक आमदनी 150000–200000 रुपये तक कृषि आय के अतिरिक्त है ।

फसल चक्र का अध्ययन–इस क्षेत्र का फसल चक्र का अध्ययन करने से पता चलता है कि यहां वर्ष के 10 माह मधुमक्खी को पराग और मकरंद (नेक्टर) मिलता है, इसलिये यहां मधुमक्खी की चार प्रजातियां भँवर मधुमक्खी, सिरेना, मेलिफेरा और चेन मधुमक्खी पायी जाती हैं। यहां के कृषि में सरसों का फसल मुख्य है, सरसो के फूल में पराग (pollen) और मकरंद (Nectar) दोनों पाया जाता है। चार महीने तो सरसों के फूल से ही शहद का उत्पादन किया जा सकता है बाकी के 6 महीना सहायक फसल जैसे वर्सिम, बाजरा तिली, जंगली फूल, खैर, बबूल, शीशम, सब्जी से शहद उत्पादन किया जा सकता है ।

- **वंचित समुदाय की महिलाओं की कम्पनी का सहजीकरण (समूह से कम्पनी तक की यात्रा) :**

विगत तीन वर्ष पूर्व रूनीपुर और सांकरा में वंचित समुदाय की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर प्रारंभ किये गये शहद उत्पादन कार्य महिलाओं की निपुणता और कार्यदक्षता के परिणामस्वरूप अब आकार लेने लगा है। यह कार्य चेंज एलायंस सस्था और ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान की मदद से संचालित किया गया। दोनो गॉव में दलित समुदाय के लोग रहते हैं जो आस–पास के गावों मे मजदूरी का काम करते हैं। यहां के दलित समुदाय का सामाजिक व

आर्थिक जीवन अच्छा नहीं है। इस समुदाय के लोगों का मुख्य रोजगार मजदूरी है। लोगों के पास जमीन बहुत कम मात्रा में है। जमीन से आजीविका नहीं चल पाती है, इसलिये यहां के पुरुष दूसरे गाँव या आस-पास के शहरों में मजदूरी जैसे-बेलदारी, हम्माली, पत्थर तोड़ना, भवन निर्माण करते हैं। महीने के पूरे दिनों काम नहीं मिलता है। महिलाओं के पास कोई काम नहीं रहता है, केवल कृषि कार्य के समय मजदूरी का काम करती हैं। बाकी के समय में खाली रहती हैं। इसलिये आमदनी का स्तर बहुत कम है। यहां के लोगों की मासिक आमदनी लगभग 3000-3500 रु. तक है। इस गावं के लोगों का आमदनी का स्तर बढ़ाने के लिये मधुमक्खी पालन का व्यवसाय बहुत ही उपयुक्त है। यहां की महिलायें मधुमक्खी पालन व्यवसाय को अपना कर अपने परिवार व समुदाय का आर्थिक स्तर ऊंचा उठा सकती हैं। इस सोच के साथ एक उदाहरण बनाने के लिए इस कार्य को किया गया। प्रत्येक गांव मे 30 महिलाओं का प्रशिक्षण समूह बना कर मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया गया है साथ ही साथ प्रत्येक प्रशिक्षण समूह का 15-15 के समूह में बांट कर स्व सहायता समूह का गठन किया गया है ।

इस तरह रुनीपुर में 6 स्व सहायता समुह व सांकरा में 4 स्व सहायता समूह का गठन किया गया है। सभी समुह को आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रथम समूह का प्रशिक्षण देने के पश्चात ग्राम रुनीपुर में 30 मधुमक्खी बॉक्स के साथ मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू किया गया। जो सरसों के मौसम माह मार्च 2017 तक मधुमक्खी बॉक्सों में गुणात्मक वृद्धि हुई है। अब मधुमक्खी बॉक्सों की संख्या 300 हो गई है। आमदनी की राशि को महिला समूह आपसी लेन देन में प्रयोग कर रहे हैं। समूह से प्राप्त ऋण से तीन महिलाएँ आर्थिक उपार्जन के लिए छोटी किराने की दुकान चला रही हैं। महिलाएं अब उत्पादन से लेकर मधुमक्खियों के पलायन तक कार्य स्वयं कर रही हैं। इस कार्य को कई संस्थाओं तथा सरकार के द्वारा सराहा गया है। आईजीआईएनपी संस्था के द्वारा महिला समूह की अध्यक्ष को पुरस्कार भी दिया गया।

समूह की कार्यशैली, लगन और परिश्रम को देखते हुए उत्पादन कम्पनी का पंजीयन कराया गया है। कम्पनी के नाम से शहद उत्पादन और विपणन करने की योजना प्रस्तावित है। इस कार्य में आश्रम, महिलाओं को मदद कर रहा है।

5. खाद्य सुरक्षा एवं पोषण विविधता कार्यक्रम

श्योपुर जिले में पिछले कुछ वर्षों से कुपोषण से बच्चों की मृत्यु की खबरें आ रही हैं। गर्भ में भ्रूणधारण से लेकर स्कूली शिक्षा की उम्र तक सरकारी योजनाओं के अंतर्गत पोषण की पूरी व्यवस्था होने और खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन के बावजूद भी कुपोषण से बच्चों की मौत की खबरें आश्चर्यजनक हैं। इस विकट परिस्थिति से निपटने के लिए महात्मा गांधी सेवा आश्रम ने दानदाता संस्था के साथ मिलकर खाद्य सुरक्षा एवं पोषण विविधता के माध्यम से श्योपुर जिले को कुपोषण से बाहर लाने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया है।

लक्ष्य :

श्योपुर जिले में कुपोषण की समस्या का स्थायी निदान करना।

कार्यक्रम का उद्देश्य :

- 15–49 वर्ष की महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में वृद्धि।
- 0–23 माह के बच्चों के न्यूनतम पोषक मानक में वृद्धि।

कार्यक्षेत्र :

इस कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र पूरा श्योपुर जिला है और सघन रूप से कराहल और श्योपुर बलॉक के 50 गाँव हैं।

कार्यक्रम की गतिविधियां और उपलब्धियाँ :

- **सहभागी सीख प्रक्रिया एवं क्रियान्वयन :**

सहभागी सीख प्रक्रिया का उद्देश्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देकर आंगनवाड़ी कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसके माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का क्षमता विकास कर समुदाय में जागरूकता लाने का कार्य किया जा रहा है। प्रशिक्षण के अंतर्गत बच्चों की देखभाल करना, उनकी तौल करना, पोषण आहार का वितरण, धात्री और माताओं को शिशुओं की देखभाल करना, बच्चों की उम्र के अनुसार पोषण आहार देने के संदर्भ में जागरूक करने के बारे में बताया जाता है। निम्न तीन चरणों के प्रशिक्षण और उसकी उपलब्धि निम्न प्रकार रही–

- ❖ सहभागी सीख प्रक्रिया चरण–1 का प्रशिक्षण 1136 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं 31 सेक्टर सुपरवाइजर को 54 बैच में दिया गया।
- ❖ सहभागी सीख प्रक्रिया चरण–2 का प्रशिक्षण 50 लक्षित गांव एवं श्योपुर तथा विजयपुर ब्लॉक के कुल 829 आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं 17 सेक्टर सुपरवाइजरों को 35 बैच में दिया गया।
- ❖ सहभागी सीख प्रक्रिया चरण–3 का प्रशिक्षण 50 लक्षित गांव के 88 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं 15 सेक्टर सुपरवाइजरों को 4 बैच बनाकर पूर्ण किया गया।
- ❖ पी.एल.ए. चरण 1 के अंतर्गत कुल 520 बैठकों में 3049 महिलायें, पी.एल.ए. चरण 2 के अंतर्गत 466 सामुदायिक बैठकों में 7196 महिलायें, पी.एल.ए. चरण 3 के 520 बैठकों में 3037 और पी.एल.ए. चरण 1 के स्केलअप 1050 बैठकों में समय–समय पर 59795 महिलायें शामिल हुई। ये सभी महिलायें 15 से 49

वर्ष की गर्भवती, धात्री और माताएं हैं।

सारणी क्रमांक–5 सहभागी सीख प्रक्रिया के चरणवार प्रशिक्षण की जानकारी

पी.एल.ए. चरण	कार्यक्षेत्र	कुल आयोजित बैठकों की संख्या	लक्षित समूह (15 से 49 वर्ष की महिलाएं) की भागीदारी
पी.एल.ए. चरण–1	फोकस	520	3049
पी.एल.ए. चरण–2	फोकस	416	2853
पी.एल.ए. चरण–2	फोकस	50 (सामुदायिक बैठकें)	4343
पी.एल.ए. चरण–3	फोकस	520	3037
पी.एल.ए. चरण–1	स्केलअप	1050	59795

- ❖ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के बाद 15 दिवस के अंतराल पर गांव स्तर पर सहभागी सीख प्रक्रिया की बैठकों का आयोजन किया जाने लगा है जिसमें 15 से 49 वर्ष उम्र की (किशोरी, गर्भवती, धात्री माता, व अन्य महिलायें) महिलायें जुड़ने लगी हैं और सेवाओं का लाभ ले रही हैं।
- ❖ श्योपुर जिले में पी.एल.ए. चरण–1 के माध्यम से लक्षित समूह की कुल 70 हजार महिलाओं तक पहुंच बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, इसके सापेक्ष 62844 महिलाओं तक पहुँच हो चुका है।

समुदाय पर प्रभाव :

- ❖ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्वंय बोलने तथा अपनी बात को रखने में सक्षम तथा अपने कार्य के प्रति जागरूक हुई हैं जिससे आंगनवाड़ी केन्द्र समय से खुलने लगे व बेहतर सेवायें देने लगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, आशा पहले की अपेक्षा वर्तमान में गृहभेंट सतर्क होकर करने लगी हैं व अपनी सेवायें दे रही हैं।
- ❖ समुदाय की महिलायें पोषण विविधता और टीकाकरण के बारे में जागरूक हुई हैं। केन्द्र पर गर्भवती महिलायें अपना पंजीयन स्वयं आकर कराने लगी, सही समय अवधि में एएनएम, आशा, व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से महिलायें स्वंय तथा अपने बच्चों का टीकाकरण करा रही हैं। कमजोर बच्चों की मातायें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से अपने बच्चों का वजन स्वंय से पूछती हैं व सही समय पर वजन कराती हैं।
- ❖ सहभागी सीख प्रक्रिया के चरणों में समुदाय स्तर पर डे–केयर सेंटर खोले गये जिनमें माताये स्वयं अपने कमजोर बच्चे को लेकर डे–केयर सेंटर पर रूकती हैं जहाँ उन्हें उचित आहार दिया जाता है जिसमें अण्डा और दूध संस्था की पहल पर शामिल किया गया। जिसके परिणामस्वरूप देखा गया कि कमजोर बच्चों के वजन में काफी सुधार हुआ है जो बच्चे कुपोषण की श्रेणी में थे वे अब सामान्य में आ गये हैं।
- ❖ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा दिया जाने वाला पोषण आहार एवं टीएचआर का उपयोग महिलायें तथा किशोरी उपयोग करने लगी है।
- ❖ किशोरियों व महिलाओं ने साफ सफाई को भी दैनिक कार्यों में अपनाया है।
- ❖ गांव स्तर पर बैठकों के दौरान निकल कर आया कि गांव में पोषण संबंधी समस्याओं को समुदाय ने दूर किया है साथ ही अन्य समस्यायें जैसे पानी, बिजली, जमीन व रोजगार को भी शासन से सामुदायिक

बैठकों में समुदाय ने साझा किया।

- ❖ 40 कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती कराया गया और सामान्य होने के बाद वे अपने घर वापस लौटें।
- ❖ सामुदायिक बैठकों के परिणामस्वरूप ग्रामीणों में ग्रामसभा के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई हैं और लोग अपने मुद्दों पर प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं।
- ❖ सामुदायिक स्तर पर शौचालय निर्माण और उसके उपयोग में वृद्धि हुई है।

● **सामुदायिक स्कोर कार्ड :**

इस कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित 50 गांवो में से 25 गांव में सामुदायिक स्तर पर समाज के वंचित वर्ग जैसे–बच्चे, किशोरी बालिका, गर्भवती एवं धात्री माताओं की खा्दय एवं पोषण सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के लिए सेवाओं का स्कोर कार्ड बनाया गया। इसमें उपयोगकर्ताओ से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण कर व्यवस्थाओं में सुधार के रास्ते खोजना, सहभागी सीख के माध्यम से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना तथा मांग के लिये आवश्यक कार्यवाही करना तथा जन पैरवी के माध्यम से नीतियों और व्यवस्थाओं में सकारात्मक बदलाव हेतु सबूतों को एकत्र करना शामिल है। सामुदायिक स्कोर कार्ड तैयार करने के निम्न प्रभाव सामने आये हैं–

- ❖ पोषण आहार और टीकाकरण से जुड़ी सेवाएं समय और प्रदाय के मामले में बेहतर बनी हैं।
- ❖ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व एएनएम तथा आशा कार्यकर्ताओं के बीच सम्बन्धों में सुधार हुआ है और एक दूसरे के प्रति जवाबदेही की समझ विकसित हुई है।
- ❖ विभिन्न हितधारकों सेवा प्रदाता एजेंसियाँ, गर्भवती महिला, धात्री महिला, किशोरवय बालिकाओं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एजेंसियाँ और समुदाय के बीच सामंजस्य स्थापित हुआ है।

● **घर-घर में किचिन गार्डन :**

सामुदायिक स्तर पर पोषण आहार के लिए हरी सब्जियां–साग और फल की उपज करना और अपने आहार में शामिल करने के लिए समुदाय को प्रेरित किया गया जिससे कि बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध हो सके। समुदाय विशेषकर सहरिया परिवार इतना सक्षम नहीं है कि बाजार से खरीद सकें। इसके अंतर्गत 50 गांव के 2000 परिवारों में पोषणवाड़ी विकसित की गयीं। गांव स्तर पर वाड़ी सलाहकारों का चयन किया गया। वाड़ी सलाहकारों के द्वारा प्रत्येक गांव से बीपीएल में आने वाले 40 परिवारों का उनकी सहमति के साथ चुना गया। पोषणवाड़ी लगाने के लिये वातावरण अनुसार पौधों का चुनाव कर मौसमी कैलेण्डर बनाया गया और वानिकी विभाग से संपर्क साधा गया। द्वितीय चरण में बीपीएल किट जिसमें 7 प्रकार की सब्जियों के बीज करेला, कद्दू, लोकी, तोरई, भिण्डी, पालक, बरबटी उपलब्ध कराये गये। तृतीय चक्र में टमाटर, बैंगन, मिर्च, मैथी, सेम के बीज एवं पौध खरीद कर रोपित कराये गये। इस कार्य का प्रभाव निम्न प्रकार है–

- ❖ वानिकी विभाग से खरीदे गये आंबला, सहजन, पपीता, नींबू, अमरूद, कटहल, जामुन, सीताफल 9950 के पौधों को समुदाय के बीच वितरित किया गया जिसमें से माह मार्च तक 3949 पौधे जीवित हैं जो पानी की समस्या और अन्य विपरीत चुनौतियों में प्रगति कर रहे हैं।
- ❖ वंचित परिवारों के द्वारा पोषणवाड़ी से प्राप्त मौसमी सब्जियों का उपयोग करने से पोशण स्तर में वृद्धि हुई और स्वास्थ्य बेहतर हुआ है।
- ❖ गांव स्तर पर जो साग–सब्जियाँ लगी उनको माध्यान्ह भोजन व सांझा चूल्हा में प्रयोग कर बच्चों को

खिलाया जाता है।

❖ परियोजना क्षेत्र में चलने वाली पोषणवाड़ी से प्रेरित होकर शासन द्वारा पंचवटी से पोषण कार्यक्रम सभी जिलों में लागू किया गया जिसमें प्रत्येक आंगनवाड़ी पर पोषणवाड़ी व आंगनवाड़ी के कार्यक्षेत्र में 10 परिवारों को चिन्हित कर फलदार पौधे व साग सब्जियाँ लगायी जायेंगी जिसमें शासन ने हर गांव, हर आंगनवाड़ी, स्कूल में मुनगा (सहजन) का पौधा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

सारणी क्रमांक -6 पोषणवाड़ी की उपज और उपभोग की माहवार जानकारी
संदर्भ- 50 गांव के 400 परिवारों में पोषण उपज पुस्तिका।

माह	सब्जियों की संख्या	हितग्राही की सख्या	आवृति की कुल संख्या	उपयोग किया गया	बेचा गया	पडोसी को दिया गया	मात्रा (किलोग्राम)
अक्टूबर 16	4	402	3766	6256.6	0	704	6960.6
नवम्बर 16	5	402	3257	5984.4	0	421	6405.4
दिसंबर 16	5	402	4181	6580.4	0	489	7069.4
जनवरी 17	5	402	3720	4800.7	0	403.3	5204
फरवरी 17	5	402	4145	4724.5	0	487	5211.5
मार्च 17	3	278	1107	1340.0	0	14	1354
	कुल	2288	20176	29686.6	0	2518.3	32204.9

❖ 50 गांव में 361 सहजन के पौधों में फल आ गया है, साथ ही पपीते में भी फल व फूल आने लगा है।

❖ पोषणवाड़ी कार्य को देखने व समझने के लिए शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों, मीडिया व अन्य संस्था संगठनों ने भ्रमण किया।

❖ पोषणवाड़ी कार्य की सराहना प्रत्येक स्तर पर की जा रही है। समाचार पत्रों में इसको लेकर लगातार समाचार प्रकाशित हुए हैं।

❖ पोषणवाड़ी में उगाये गये साग-सब्जियों का अध्ययन 50 गांवों के 400 परिवारों पर किया गया। इसके अनुसार परिवारों ने कुल 29686.6 किलोग्राम स्वयं उपयोग किया और 2518.3 किलोग्राम साग सब्जियों का आपस में लेनदेन किया। इस प्रकार औसत रूप से प्रत्येक परिवारों ने 6 महीने में 80.51 किलोग्राम साग-सब्जियों का उपयोग किया।

❖ इस प्रकार अनुमान के मुताबिक 2000 परिवारों के बीच में कुल 161024.5 किलोग्राम सब्जियों का उपयोग किया गया।

❖ इससे 2000 परिवारों के लगभग 10000 सदस्यों को साग-सब्जियां उपलब्ध हुईं।

● **राज्य शासन के कार्यक्रमों के लिए आमंत्रण और भागीदारी :**

❖ प्रदेश की राजधानी भोपाल में लाड़ली शिक्षा पर्व के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री निवास में श्योपुर जिले में प्राप्त होने वाली जड़ी-बूटियों व गांव स्तर पर लगाई गई पोषणवाड़ीयों की साग-सब्जी का प्रदर्शन किया

गया, जिसके निरीक्षण पर आये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को स्थानीय जड़ी–बूटियों और साग–सब्जी के फायदे बताये गये।

❖ मध्यप्रदेश विधानसभा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को पोषणवाड़ी प्रदर्शनी लगायी गई जिसको समस्त विधानसभा क्षेत्रों के विधायक, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमति अर्चना चिटनिस, राज्यमंत्री श्रीमति ललिता यादव, व आयुक्त महिला बाल विकास श्रीमती पुष्पलता सिंह ने पोषणवाड़ी प्रदर्शनी को देखा व समझा तथा भूरि–भूरि प्रसंशा की।

● **कार्यशाला आयोजन :**

इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए समय–समय पर विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें पी.एल.ए., स्केलअप, प्लानिंग वर्कशॉप, प्रोग्रेस शेयरिंग जिला कलेक्टर श्योपुर, सिटीजन रिपोर्ट कार्ड जिला स्तरीय कार्यशाला, जल संरक्षण के लिये सुण्डी गांव में जिला स्तरीय कार्यशाला, गांव सावड़ी में ब्लॉक स्तर पोषणवाड़ी उद्घाटन समारोह शामिल है। इसमें टीम के सदस्य, समुदाय के लोग और विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया।

● **सहयोगी संस्थाओं का क्षेत्र भ्रमण :**

इस वर्ष सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए समय–समय पर आयोजित किये गये जिसमें माइकल क्लिंगलर, नीता मिश्रा (जीआईजेड), प्रतिभा श्रीवास्तव (डब्लूएचएच), भावना नागर, प्रदीप दीक्षित, अर्चना शर्मा (एकजुट), अर्चना सरकार, तपन गोप, नेहा खारा (जीआईजेड) तथा श्रद्धा श्रीवास्तव (समर्थन, भोपाल) का भ्रमण मुख्य था।

Indian citizens must discover one dimension of Patriotism

"To Love Indians means to love all Indians".

-Dr. S.N. Subba Rao

6. जल, जंगल और जमीन आधारित आजीविका के संसाधनों पर लोगों का अधिकार

महात्मा गांधी सेवा आश्रम के द्वारा बी.एफ.टी.डब्ल्यू की मदद से इस कार्यक्रम का तीसरा चरण दिसम्बर 2016 में समाप्त हुआ और चौथा चरण जनवरी 2017 से प्रारंभ हुआ। इस प्रकार यह वित्तीय वर्ष इस परियोजना के तीसरे और चौथे चरण का संधि काल भी था। लगभग एक दशक से आपसी समझ के साथ संचालित यह परियोजना वंचित वर्ग के लोगों को सिर्फ उनका भूमि अधिकार ही नहीं दिला रही है बल्कि गांव–गावं में संस्थागत ढांचे को विकसित कर उसे मजबूती भी प्रदान कर रही है।

यह परियोजना अन्य परियोजनाओं से इस मायने में भिन्न है कि यह काम के परिणाम और प्रभाव का ही आँकलन नहीं करता बल्कि दीर्घकालीन संस्थागत संबंधों को स्थापित करते हुए एक मजबूत और न्यायपूर्ण नये समाज के निर्माण के लिए माहौल और ढाँचा तैयार करने में मदद करता है। अतः परियोजना के निर्धारित कार्यक्रमों को संचालित कर देना तथा परियोजना लक्ष्य को प्राप्त कर लेना भर ही इसका उद्देश्य नहीं है बल्कि लम्बे समय तक आवश्यक और रणनीतिगत सहयोग कर संस्था तथा लक्ष्य समूहों का सर्वांगीण विकास ही इस परियोजना के मजबूत संबंधों का आधार है।

कार्यक्षेत्र :

वित्तीय वर्ष 2016–17 में महात्मा गांधी सेवा आश्रम के द्वारा बी.एफ.डब्ल्यू परियोजना के भौगोलिक क्षेत्र और मानव संसाधनों में बदलाव किया गया। दिसम्बर 2016 तक इस संस्था के द्वारा जहां छः राज्यों (मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, मणिपुर, असम और ओडिसा) के 657 गांवों में कार्य किया जा रहा था वहीं जनवरी 2017 से इन्हीं छः राज्यों के 19 जिलों के 37 ब्लॉक के 775 गांवों में काम किया जा रहा है।

सारणी क्रमांक–7 कार्यक्षेत्र की राज्यवार जानकारी

राज्य	जिला	ब्लॉक	गांवों की संख्या
मध्यप्रदेश	4	11	253
उत्तरप्रदेश	2	6	124
ओडिसा	2	4	122
छत्तीसगढ	2	4	110
मणिपुर	3	4	66
असम	6	8	100
6	19	37	775

गतिविधियाँ :

कार्यक्षेत्र में नियमानुसार चलने वाली ग्राम इकाई की मासिक बैठक, अनाज कोष, ग्राम कोष संग्रहण के

अलावा कुछ विशेष कार्यक्रम और गतिविधियां की गई जिसे निम्न बिन्दुओं में देखा जा सकता है–

- **जीवन जीने के संसाधनों पर अधिकार :**

अप्रैल से दिसम्बर 2016 तक 1641 परिवारों को कृषि भूमि का अधिकार तथा 2504 परिवारों को आवासीय अधिकार प्राप्त हुये। इसके अलावा 67 वन अधिकार समिति का गठन/पुनर्गठन किया गया जिससे वनअधिकार के मुद्दे को आगे बढ़ाने में मदद मिली और सामुदायिक अधिकार के दावे भी तेजी से लगाये जा सके। वन अधिकार समिति लम्बित दावों के बारे में उपखण्ड से सवाल–जवाब करने में सक्षम हुई और ग्राम सभा से दावाकर्ताओं को कम भूमि मिलने पर विरोध प्रस्ताव भी करा कर भेजा गया।

- **कानूनी प्रशिक्षण :**

इस वर्ष जो कानूनी प्रशिक्षण दिये गये उसमें कानून की बारीकियों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया। प्रशिक्षण के साथ–साथ सभी कार्यकर्ताओं तथा कुछ सक्रिय मुखियाओं को कानूनी पुस्तकों और पोस्टर की किट भी दी गई। कानूनी प्रशिक्षण के परिणामस्वरुप ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के अध्यक्ष और सचिव तथा कुछ गांव के लोगों को वन अधिकार अधिनियम के बारे में बताया गया। इसके अलावा ओड़िसा में 10 और छत्तीसगढ़ में 1 यानि कुल 11 सामुदायिक अधिकार के दावे दर्ज किये गये। परियोजना के 3 राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिसा में, जहां वन अधिकार अधिनियम के न्यायपूर्ण क्रियान्वयन के लिये सक्रिय रुप से काम किया जा रहा है, उन लोगों के पुर्नदावे दर्ज किये गये हैं जिन्हें कम भूमि दी गई है।

सारणी क्रमांक-8 परियोजना के तीसरे चरण का राज्यवार संख्यात्मक परिणाम

राज्य	आवेदन					भूमि अधिकार					वन अधिकार समिति का गठन/ पुनर्गठन
	राजस्व आवास	राजस्व कृषि	वन आवास	वन कृषि	कुल	राजस्व आवास	राजस्व कृषि	वन आवास	वन कृषि	कुल	
मध्यप्रदेश	1273	446	110	378	2207	1525	64	0	23	1612	65
उत्तरप्रदेश	1015	200	0	0	1215	677	0	0	0	677	3
छत्तीसगढ़	46	24	150	957	1177	0	0	0	715	715	41
ओड़िसा	723	51	549	1657	2980	99	0	0	450	549	28
असम	3065	0	0	0	3065	203	0	0	0	203	0
मणीपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	6122	721	809	2992	10644	2504	64	0	1188	3756	137

नोट : परियोजना के तीसरे चरण के परिणाम को निम्न तालिका में देखा जा सकता है। उपरोक्त सभी की व्यक्तिगत/ विस्तृत सूची रिसोर्स सेण्टर, ग्वालियर में उपलब्ध है।

- **श्रमदान शिविर :**

मई और जून 2016 में उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और ओड़िसा में जलसंरक्षण के लिये श्रमदान शिविर का आयोजन किया गया। श्रमदान के माध्यम से मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले के जाखलौन, उत्तरप्रदेश के झांसी जिले के सौनकपुरा तथा ललितपुर जिले के झाबर गांव में चेकडेम बनाया गया। इन तीन चेक डेम से लगभग 200 सहरिया समुदाय के परिवार लाभान्वित हुये और लगभग 180 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध हो सका। इन तीनों गांवों में कुल 33 हैण्डपम्प, 15 कुँआ और 7 बोरवेल में पानी रिचार्ज हुआ जिससे घरेलू कार्यों के लिये साल के 10 महीनें पानी उपलब्ध हो सका तथा लगभग 3500 पशुओं को पीने के लिये पानी की उपलब्धता हुई।

इसी तारतम्य में एकता परिषद ने पानी बचाने की जो देश व्यापी मुहिम चलाई है उसी के क्रम में ओड़िसा के खुर्दा जिले के टांगी ब्लॉक में श्रमदान शिविर का आयोजन किया गया। टांगी ब्लॉक के दो गांवों माहुझारा और गोंदीपारा एक छोटी सी नदी के किनारे बसा है जिसका नाम है बोईटीयानी। इस नदी से गांव के लोग साल के तीन–चार महीने सिंचाई के लिये पानी लेते हैं। परन्तु गर्मी के दिनों में नदी का पानी सूख जाता है और नदी गांव के लोगों की खेती के जमीन से नीचे है जिससे पानी ऊपर चढ़ाने में दिक्कत होती है। इस गांव में भी एक छोटे से बांध का निर्माण श्रमदान से किया गया। मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओड़िसा की तरह ही छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी श्रमदान शिविर के माध्यम से पांच कुंआ (ग्राम–गोंदहवा, प्रेमनगर, केन्दई, गोंदहिया और मुकुआ) और एक कच्चा छोटा स्टॉप डैम का निर्माण किया गया। इन छोटे–छोटे प्रयासों के माध्यम से 112 परिवार (परिवार संख्या–गोंदहवा–19, प्रेमनगर–16, केन्दई–13, गोंदहिया–6 और मुकुआ–18) के लिये पीने के पानी और थोड़ी सिंचाई की व्यवस्था की जा सकी।

केस अध्ययन

वंचित समुदाय के इन प्रयासों से प्रभावित होकर प्रशासन की ओर से गोंदहवा गांव में श्रमदान के दौरान पीने के पानी के लिये टैंकर की व्यवस्था की गई और इस गांव की पानी की समस्या को देखते हुये तत्काल 2 हैण्डपम्प लगाया गया। गांव के लोगों ने पहली बार हैण्डपम्प लगाने की मशीन देखी और पानी की समस्या का समाधान होते हुये देख वे अति प्रसन्न हुये।

- **जनसुनवाई :**

परियोजना के सभी क्षेत्रों में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इन जनसुनवाईयों के माध्यम से वंचितों की समस्याओं को शासन प्रशासन और मीडिया तक पहुँचाने का प्रयास किया गया। परिणामस्वरुप –

- ❖ मध्यप्रदेश की सरकार आवासीय कानून बनाने के लिये बाध्य हुई।
- ❖ छत्तीसगढ़ में वन अधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक दावे भरने के लिये वन प्रबंधन समिति को जो जिम्मदारी दी गई थी, उस पर नागर समाज में बहस आरंभ हुई।
- ❖ असम में शिविर लगा कर लोगों की भूमि रिकार्ड ठीक करने की प्रक्रिया में तेजी आई।
- ❖ ओड़िसा में प्रशासन वंचितों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील हुआ और समस्या समाधान और दस्तावेज तैयार करने में संगठन की मदद लेने लगा।

सारणी क्रमांक-9 राज्यवार जनसुनवाई का विवरण

राज्य	स्थान	तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
मध्यप्रदेश	जाखलौन	10.06.2016	1071
	तिघरा	08.06.2016	455
	जौरा	06–07.02.2017	1575
उत्तरप्रदेश	झाँसी	13.09.2016	251
मणीपुर	नौगंपोक काकचिंग	24.11.2016	247
छत्तीसगढ़	पसान, कोरबा	08–09.12.2016	1538

- **भूमि सम्मेलन :**

पिछले एक वर्ष में दो स्तरों पर भूमि सम्मेलन का आयोजन किया गया–

❖ प्रदेश स्तरीय भूमि सम्मेलन

❖ राष्ट्रीय स्तर का भूमि सम्मेलन

प्रदेश स्तरीय भूमि सम्मेलन मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, उत्तरप्रदेश और मणिपुर में किया गया। सभी भूमि सम्मेलनों में वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन और आवासीय भूमि का मुद्दा प्रमुखता से शामिल रहा।

भूमि सम्मेलनों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों की भूमि समस्या को एक दूसरे के साथ बांटा गया और एक सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। इसी सम्मेलन का परिणाम है कि असम में जनहित याचिका दायर किया गया और मणिपुर में आवासीय नीति का प्रारुप तैयार किया गया।

सारणी क्रमांक-10 राज्यवार भूमि सम्मेलन का विवरण

राज्य	स्थान	तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
मध्यप्रदेश	जौरा	10–12.09.2016	185
	ग्वालियर	18–19.12.2016	1520
	भोपाल	22–23.02.2017	200
तमिलनाडू	शशि मदुरै	18–19.09.2016	67

- **दस्तावेजीकरण :**

योजना क्षेत्र में दस्तावेजीकरण के रुप में प्रतिवेदन, केस अध्ययन, पोस्टर, पम्पलेट निर्माण के साथ–साथ डोक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई।

❖ परियोजना के दो राज्यों, छत्तीसगढ़ और ओड़िसा में वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सच्चाई पर डोक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई।

- ❖ उत्तर प्रदेश में एक फिल्म जल संरक्षण और संवर्धन विषय पर बनाया गया जिसमें श्रमदान का महत्व तथा जीवन स्तर में पानी से होने वाले बदलाव को दिखाया गया है।
- ❖ असम के बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याओं को दिखाते हुये एक फिल्म बनाई गई
- ❖ विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान तैयार किये गये हैण्डबिल के अलावा वन अधिकार अधिनियम से संबंधित चार पोस्टरों का एक सेट तैयार किया गया और सभी 750 गांवों के लिये पोस्टर का यह सेट उपलब्ध कराया गया।
- ❖ उपरोक्त कार्यों के अलावा कार्यकर्ताओं के लिये एक विशेष प्रकार की डायरी भी बनाई गई ताकि कार्यकर्ता अपनी योजना और किये गये कार्यों के बारे में संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की जानकारियों को लिख सकें।
- ❖ पिछले एक वर्ष में सामुदायिक दावे के संबंध में एक पुस्तिका का प्रकाशन हुआ है।

- **समीक्षा बैठक :**

नवम्बर 2016 में, परियोजना के तीसरे चरण की समाप्ति पर कार्य की समीक्षा और मूल्यांकन के लिये गुवाहाटी, आसाम में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जनवरी 2017 से प्रारंभ होने वाले परियोजना के चौथे चरण के लिये लक्ष्य का निर्धारण और रणनीतिक निर्णय भी लिये गये।

केस अध्ययन-1 ## संगठन के प्रयास से मिला भूमि पर कब्जा

नाम-विमला बाई, पति का नाम -श्री मेहताब आदिवासी, गांव एवं पंचायत-जारौली धुवयाई, ब्लॉक-मुगांवली, जिला-अषोकनगर, म.प्र.

विमला बाई के नाम से राजस्व भूमि पर सन् 2002-03 में सर्वे नम्बर-1/42/1 क/4ड में 1 हेक्टेयर भूमि का पट्टा दिया गया। विमला बाई ने इस भूमि पर दो वर्षो तक खेती कर अपने परिवार का पालन पोषण किया। इसके बाद उन्ही के पास के गांव के यादव समाज के दो बाहुबली लाखन सिंह, पुत्र इमरत सिंह कटारिया एवं आधार सिंह, पुत्र लाखन ने एक रात को उक्त भूमि पर ट्रेक्टर चलाकर अपने कब्जे में कर लिया और विमला बाई से कहा कि-''आपकी यहां पर कोई जमीन नहीं है। यह जमीन मेरी है आप यहां से चले जायें।'' ऐसा सुन कर विमला बाई और उनके पति श्री मेहताब के होशो-हवास उड़ गये। कब्जा करने वाले लोग चूँकि दबंग थे इसलिये विमला बाई और उनके पति कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाये। मेहनत-मजदूरी करके अपना तथा अपने परिवार का पालन-पोषण करते रहे, लेकिन भूमि हाथ से चले जाने का दुःख बना रहा।

दिनांक 7 दिसम्बर 2015 को विमला बाई के द्वारा लाखन सिंह कटारिया द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा करने संबंधी आवेदन तहसीलदार, मुंगावली को दिया गया। नायब तहसीलदार के द्वारा राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को तत्काल जांच के आदेश दिये गये लेकिन चार माह हो जाने के बाद भी श्रीमति विमला बाई के आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

दिनांक 4 मई 2016 को एकता परिषद द्वारा आयोजित ''जल सत्याग्रह यात्रा'' में विमला बाई ने इस समस्या के बारे में संगठन को बताया। संगठन के द्वारा 6 मई 2016 को उक्त भूमि के सीमांकन हेतू तहसीलदार, मुंगावली को आवेदन दिया गया। भूमि का सीमांकन न होने पर संगठन के द्वारा पुनः 21 जून 2016 को तहसीलदार को आवेदन दिया गया जिसमें पूर्व में दिये गये आवेदनों की प्रतिलिपि भी संलग्न किया गया। इस बार तहसीलदार ने आवेदन को गंभीरता से लिया और तत्काल कार्यवाही करते हुये भूमि के सीमांकन करने के आदेश जारी किये। दिनांक 22 जुन 2016 को राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा गांव वालों के समक्ष उक्त भूमि का सीमांकन और सीमाबंदी किया गया। इस प्रकार विमला बाई को लगभग 10 वर्षो के बाद अपनी जमीन वापस मिली।

गतिविधियों का प्रभाव :

- परियोजना के कार्यक्षेत्र में इस वर्ष विभिन्न भूमि समस्याओं से संबंधित कुल 6168 आवेदन/दावे लगाये गये जिसमें से 1247 परिवारों को अधिकार–पत्र प्राप्त हुआ अथवा भूमि समस्या का निराकरण हुआ। इसके अलावा 638 परिवारों को आवासीय भूमि का अधिकार मिला। इस आवासीय भूमि के अधिकार के रुप में 900 वर्गफुट से लेकर 1500 वर्गफुट भूमि संयुक्त नाम से दी गई। उत्तरप्रदेश में भूमि के अभाव में अधिकतर परिवारों को भूमि तो नहीं दी गई परन्तु वंचितों को इंदिरा आवास का लाभ दिलाने में सफलता मिली।

- इसके अलावा उत्तरप्रदेश के कार्यक्षेत्र में जॉब कार्ड, पेंशन, बी.पी.एल. कार्ड से संबंधित 1273 आवेदन लगाये गये जिसमें से 876 लोगों की समस्याओं का समाधान हो सका।

- इस वर्ष अशोकनगर जिले में पीने के पानी के अभाव में बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हुआ। इस गंभीर समस्या को देखते हुये पानी की समस्या के समाधान के लिये भी काम किया गया और दो गांवों को नल–जल योजना से जोड़ा गया तथा हैण्डपम्प में और गहराई तक पाईप डलवाने का काम भी बड़े पैमाने पर किया गया।

- परियोजना के कार्यक्षेत्र में 98 क्विंटल अनाज बैंक और 72000/–रुपये ग्राम कोष के रुप में इकट्ठा किया गया।

- इस वर्ष मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओड़िसा के कार्यक्षेत्र में ग्राम स्तरीय वनअधिकार समितियों के नियमानुसार गठन/पुनर्गठन की नियोजित प्रक्रिया चलाई गई क्योंकि वन अधिकार अधिनियम को ठीक से लागू करने के लिये जिम्मेदार इकाईयों के पहले पायदान पर ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति है। इस समिति का गठन कई गांवों में नियमानुसार नहीं हुआ था जिसके कारण कानून के न्यायपूर्ण क्रियान्वयन में बाधा खड़ी हो रही थी। वनाधिकार समितियों के गठन/पुनर्गठन की प्रक्रिया के परिणामस्वरुप कार्यक्षेत्र में 108 समितियों का गठन/पुनर्गठन किया गया।

- वन अधिकार अधिनियम के तहत इस वर्ष छत्तीसगढ़ एवं ओडिसा में 11 सामुदायिक वन भूमि तथा वन संसाधन के दावे तैयार किये गये जिसे संबंधित ग्राम सभा के अन्तिम अनुमोदन के बाद उपखण्ड स्तर पर दर्ज करने की कार्यवाही शेष है। ये दावे श्मशान/कब्रिस्तान, धर्मिक स्थल, गोठान, चारागाह आदि के लिये अलग–अलग न होकर सम्पूर्ण सामुदायिक अधिकार के लिये एक साथ तैयार किये गये हैं। अब तक छत्तीसगढ़ राज्य के पंडरीपानी गांव के लिये सामुदायिक अधिकार का एक दावा उपखण्ड स्तर पर जमा किया गया है। इस कार्य को करने में महाराष्ट्र का अध्ययन भ्रमण काफी मददगार साबित हुआ।

- परियोजना के कुछ चुनिन्दा गांवों में जलसंरक्षण और जल संबृंद्धन के लिये रचनात्मक कार्य किये जायेंगे।

- वन अधिकार अधिनियम के तहत सभी संबंधित गांवों में सामुदायिक अधिकार के लिये दावा दर्ज किया जायेगा।

- आवेदनों और दावों के निराकरण तथा तैयार अधिकार पत्र के वितरण के लिये आवश्यकतानुसार अहिंसात्मक प्रदर्शन किये जायेंगे।

परियोजना के तीसरे चरण के कुछ अन्य परिणाम, सीख और चुनौतियों से संबंधित प्रमुख बिन्दु :

- छत्तीसगढ़ में वन अधिकार अधिनियम के तहत जो व्यक्तिगत पट्टे दिये गये हैं उसमें लिखा नहीं गया है कि पट्टा आवास के लिये दिया जा रहा है या कृषि के लिये।

- छत्तीसगढ़ में 13 पंचायत के 41 गांव कोल माईन्स के कारण प्रभावित हैं। माईन्स खुलने की प्रक्रिया में इन गांवों में पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं।
- छत्तीसगढ़ में ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति लोगों को कम भूमि दिये जाने पर सवाल खड़े करने लगी है। उसी प्रकार वन अधिकार अधिनियम का सही क्रियान्वयन न किये जाने पर मुकुआ ग्रामसभा द्वारा विरोध प्रस्ताव भी लाया गया है। इस प्रकार की प्रक्रियाऐं यह सीख प्रदान करती हैं कि यदि ग्राम स्तरीय समिति का स्थानीय निकाय सशक्त हो तो शक्ति अपने आप स्थानीय स्तर पर आ जायेगा।
- असम में सरकार की ओर से लैण्ड बैंक बनाने की प्रक्रिया शुरु की गई है।
- बाढ़ के कारण जिस परिवार की भूमि चली गई है, ऐसे तीस हजार प्रभावित परिवारों को 3 बीघा जमीन देने की घोषणा असम सरकार के द्वारा किया गया है।
- असम में रेवेन्यू कैम्प के माध्यम से लोगों के भूमि रिकार्ड को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है।
- ओड़िसा में तहसील स्तर पर प्रशासन के लोग भूमि वितरण और रिकॉर्ड बनाने में एकता परिषद की मदद लेने लगे हैं यानि एकता परिषद को रिसोर्स पर्सन की तरह देख रहे हैं।
- परियोजना के तहत आंकड़े/सूची के स्तर पर प्रतिवेदन तैयार करने का फायदा यह हुआ है कि गांव में लोगों द्वारा पूछे गये सवाल का जवाब साक्ष्य के साथ देना आसान हो गया है यानि परियोजना के मॉनीटरिंग सिस्टम को अब संस्थागत स्तर पर डालने का प्रयास शुरु कर दिया गया है।
- समानान्तर व्यवस्था तैयार करने के बजाय सरकारी संस्थानों/व्यवस्थाओं को उपयोग करने लगे हैं।
- इस परियोजना की समीक्षा, आन्तरिक मूल्यांकन और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया काफी मजबूत रही है जिसे संगठन के अन्य परियोजनाओं में भी शामिल किया जाने लगा है। इसके अलावा परियोजना के मॉनिटरिंग सिस्टम को संस्थागत ढांचे में डालने का प्रयास भी किया जाने लगा है।

7. बेटी पढ़ाओं बेटी बढ़ाओ कार्यक्रम

श्योपुर जिले में बालिकाओं की साक्षरता का दर बहुत ही कम है। लिंगभेद के कारण लड़कियों की पढ़ाई पर परिवार कम ही ध्यान देते हैं। जिसके कारण लड़कियां पढ़ने की उम्र में घर बैठ जाती है या उनकी कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है। जिसके कारण कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियां पैदा होती हैं। इस बात को ध्यान में रखकर आश्रम के द्वारा इम्पैक्ट संस्था की मदद से यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

लक्ष्य :

इस कार्यक्रम का लक्ष्य स्कूल न जाने वाली 6 से 14 वर्ष उम्र के बीच की लड़कियों को गुणवत्ता पूर्ण प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए संगठित और प्रेरित करना है।

उद्देश्य :

- समुदाय प्रेरणा के माध्यम से स्कूल न जाने वाली बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच बनाना और उनका नामांकन कराना।
- इम्पैक्ट अध्ययन केन्द्र के माध्यम से उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रांसगिक शिक्षा उपलब्ध कराना।
- प्रत्येक बालिका को स्वतंत्र विचारक और स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहित करना और समर्थवान बनाना।
- सीखने की प्रक्रिया को मजेदार बनाना।
- समुदाय परिवर्तन में मदद करना।

कार्यक्षेत्र :

श्योपुर जिले के कराहल ब्लाक में 4 कलस्टर के माध्यम से 19 पंचायतों के 31 गावों में 40 केन्द्रों के माध्यम से यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

प्रमुख गतिविधियाँ :

- **सर्वे कार्य :**

कार्यक्रम के प्रारंभ में सभी चयनित गांवो में बालिकाओं की पढ़ाई में आने वाली बाधाओं तथा प्राथमिक शिक्षा से वंचित बालिकाओं की पहचान करने के लिए सर्वे कार्य किया गया।

- **बेटी पढ़ाओं प्राथमिक अध्ययन केन्द्र की स्थापना व शिक्षण कार्य :**

31 गांवो में 40 केन्द्रों की स्थापना की गयी। इन सभी केन्द्रों पर 1200 बालिकाओं का पंजीकरण किया गया है और उनको हिन्दी, अंग्रेजी व गणित की प्राथमिक शिक्षा रूचिपूर्ण माध्यमों से 4 घंटे प्रतिदिन दी जा रही है।

- **शिक्षकों का क्षमता विकास प्रशिक्षण :**

उपरोक्त केन्द्रों पर स्थानीय पढ़े-लिखे युवक-युवतियों को शिक्षण कार्य के लिए रखा गया है। इन शिक्षकों के क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण आयोजित किये गये। प्रशिक्षण में इम्पैक्ट के द्वारा तैयार किये गये शिक्षण

माडल को समझाया गया। प्रत्येक तीन माह के अंतराल पर शिक्षकों की क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण व कार्यशाला आयोजित किये जाते हैं।

- **समुदाय के साथ बैठक :**

समय–समय पर कार्यक्षेत्र के गांवों में समुदाय के साथ बैठकें की गयीं। कार्यक्रम के प्रारंभ में 30 केन्द्र खुले जगहों पर तथा 10 केन्द्र अच्छे स्थानों पर संचालित किये गये। समुदाय के साथ बैठक का परिणाम यह हुआ कि समुदाय ने अपनी भागीदारी से 13 स्थानों का केन्द्र के लिए चिन्हित किया जो सामुदायिक भवन और खाली घर थे, उनको उपलब्ध कराया। कुछ गांवो में समुदाय ने छपरा भी बनाया।

- **महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस व पर्व समारोह :**

गांधी जयंती, गणतंत्रत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तथा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सभी केन्द्रों पर समारोह आयोजित किये गये जिसमें समुदाय के महिला–पुरूष और बालक तथा बालिकाओं ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों में स्थानीय प्रबुद्ध और जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

- **अकादमिक गतिविधियाँ :**

कुछ केन्द्रों पर अकादमिक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया।

- मदनपुर के बेटी पढाओं केन्द्र पर ड्रामा के माध्यम से बालिकाओं ने अपनी समस्याओं को प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य बालिकाओं में संवाद की कला विकसित करना और नाटक के माध्यम से अपनी बातों को रखना था।

- सेमल्दा बेटी पढ़ाओं केन्द्र पर चित्रकारी की तैयारी और प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिससे बच्चों में सृजन क्षमता का विकास हुआ और उनका आत्मविश्वास बढ़ा, इसमें बालिकाओं ने खूब रूचि दिखाई।

- इम्पैक्ट के कार्यक्रम प्रबंधक रामचन्द्र जाट का क्षेत्र भ्रमण 9 मार्च 2017 को कोटागढ़ और मदनपुर में हुआ। बालिकाओं ने उनके द्वारा पूछे गये गणित और अंग्रेजी के सवालों का जवाब सहजता पूर्वक दिया और होली गीत गाकर सुनाया।

8. चाइल्ड लाइन, श्योपुर

भारत के प्रत्येक बच्चे को एक स्नेह करने वाले और पालन पोषण करने वाले परिवार की देखरेख पाने का, प्रतिष्ठा के साथ रहने का एवं अपने परिवार से अलग करने, हिंसा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा और पोषण से संरक्षण पाने का अधिकार है। आई.पी.एस के माध्यम से महिला बाल विकास ने 11वीं योजना में बाल संरक्षण के लिए एक विस्तृत और व्यापक रूपरेखा तथा बच्चों के लिए सशक्त संरक्षात्मक परिवेश के सृजन हेतु एक नींव स्थापित करने की संकल्पना की है। आई.पी.एस. द्वारा अनेक मौजूदा बाल संरक्षण कार्यक्रमों को एक साथ लाया गया है और कई नई पहल की गई है। इस कार्यक्रम को श्योपुर जिले में महात्मा गांधी सेवा आश्रम के द्वारा संचालित किया जा रहा है।

लक्ष्य :

बाल अधिकारों का संरक्षण और गारंटी।

उद्देश्य :

चाइल्ड लाइन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं–

- ❖ प्रत्येक 0 से 18 वर्ष के जरूरतमंद बच्चों की मदद करना।
- ❖ यदि कोई बच्चा बीमार हो या अकेला हो तो उसकी सहायता करना।
- ❖ किसी बच्चे को आश्रय की जरूरत हो तो उसकी सहायता करना।
- ❖ कोई बच्चा छोड़ दिया गया हो या गुम हो गया हो तो उसकी सहायता करना।
- ❖ किसी बच्चे का शोषण हो रहा हो तो उसकी सहायता करना।
- ❖ 14 वर्ष से आधिक उम्र के बच्चों से काम करवाकर बच्चे को मजदूरी नहीं दी गई हो तो उसकी सहायता करना और बाल मजदूरों के पुनर्वास में मदद करना।
- ❖ रास्ते पर किसी बच्चों का उत्पीड़न हो रहा हो तो उसकी सहायता करना।

कार्यक्षेत्र :

इस कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र श्योपुर जिला है।

गतिविधियाँ और उसकी उपलब्धियाँ :

- **आपातकालीन पहुँच सेवा :**

राष्ट्रीय टोल फ्री नम्बर 1098 पर आने वाली कॉलो का फॉलोअप और 60 मिनट में मदद उपलब्ध कराना और इसका दैनिक आधार पर नियमित फॉलोअप का कार्य बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए किया गया। चाइल्ड लाइन देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए एक 24 घंटे, सातों दिन आपातकालीन पहुंच सेवा हैं जो उन्हें आपातकालीन और दीर्घ अवधि, देखरेख तथा पुनर्वास सेवाओं से जोड़ती है। कठिन परिस्थिति में रहने वाला कोई भी बच्चा या उसकी ओर से कोई वयस्क इस सेवा तक 1098 डायल करके पहुंच सकता है। चाइल्ड लाइन 0–18 वर्ष के बालक/बालिकाओं के देखरेख व संरक्षण हेतु कार्यरत निःशुल्क आपातकालीन दूरभाष तथा

आउटरीच सेवा है। जिसके अंतर्गत आवश्यकतानुसार दीर्घकालीन सेवा भी प्रदान की जाती है चाइल्ड लाइन 1098 पर कोई भी बालक अथवा संबंधित व्यस्क 24 घंटे (दिन या रात) कभी भी संपर्क कर सकता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बाल अधिकारों के हनन की शिकायत को दर्ज किया गया और दर्ज की गई शिकायतों को प्राथमिकता के क्रम में नियमित फॉलोअप करते हुए हल कराया गया। बच्चों से जुड़े मामले जो वर्ष 2016–17 के दौरान दर्ज किये गये और उनका निपटारा किया गया वह सारणी में दिये गये हैं–

सारणी क्रमांक–11बच्चों से जुड़े मामलों में सहायता का विवरण

क्रम	मामले	केस संख्या	टिप्पणी
01	लावारिश बच्चे	16	लापता मिले बच्चों के माता–पिता की जानकारी कर उनको सुरक्षित घर पहुंचाया गया।
02	घर से भागे/ लापता बच्चे	02	घर से भागे/लापता हुए बच्चों को उनके माता–पिता से मिलवाया गया।
03	बाल विवाह	02	नाबालिक बच्चों के विवाह को रूकवाया गया।
04	बच्चों द्वारा भीख मांगना	18	आर्थिक परेशानियों के चलते भीख मांगने वाले बच्चों के माता, पिता से चर्चा कर बच्चों से भीख मांगना बंद करवाया गया।
05	अनाथ बच्चों का संरक्षण	10	आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे जिनके माता–पिता के देहांत के बाद उनका भरण–पोशण की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा था ऐसे बच्चों को छात्रावास में भर्ती करवाया गया।
06	बच्चों का चिकित्सीय उपचार	13	टीकाकरण के अभाव मे होने वाली बीमारियों के बारे में बच्चों के माता–पिता को जानकारी देकर टीकाकरण करवाया गया।
07	कुपोषण	49	आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों के माता–पिता की काउंसलिंग कर कुपोषित बच्चों को एन.आर.सी. में भर्ती करवाया गया।
08	लाड़ली लक्ष्मी योजना	87	बलिकाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर चलाई जाने वाली मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना में बच्चियों के नाम जुड़वाए गए।
09	बाल विकलांग	07	विकलांग बच्चों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई।
10	विद्यालय/महाविद्यालय	13	ऐसे बच्चे जो आर्थिक परेशानियों के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके थे, उन्हें विद्यालय/महाविद्यालय में चर्चा कर प्रवेश दिलवाया गया।
11	विकलांगता प्रमाण पत्र	26	ऐसे विकलांग बच्चे (शारीरिक और मानसिक विकलांग) जिनके पास विकलांगता का कोई परिचय पत्र नहीं था उनका परिचय पत्र बनवाया गया जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होने लगा।

- **स्थानीय विभाग जैसे पुलिस, प्रशासन, श्रम, स्वास्थ्य रेलवे आदि की सहायता से बचाव तथा अन्य आउटरीच सेवाओ का समन्वयन :**

बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए स्थानीय विभाग पुलिस, प्रशासन, श्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा और रेलवे इत्यादि से नियमित सम्पर्क कर संवाद स्थापित किये गये और दर्ज मामलों पर कार्यवाही के लिए समन्वयन स्थापित किया गया। इसके लिए समय-समय पर संवाद कार्यक्रम और कार्यशाला भी आयोजित की गई और शासकीय कार्यक्रमों में भागीदारी कर बाल अधिकारों के सरंक्षण, लोगों की समझ विकसित की गयी। विशेषकर किशोर पुलिस इकाई एवं समाज के कमजोर वर्गो के प्रति संवेदनशीलता विषय पर श्योपुर पुलिस विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन 27 अप्रैल 2016 को किया गया। इस कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायाधीश, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर सहित कई विभागीय प्रमुख उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम के दौरान चाइल्ड लाइन के कार्य, दृष्टिकोण, चुनौतियां तथा उनसे निपटने के एकीकृत उपायों पर आश्रम के द्वारा प्रस्तुति दी गयी।

केस अध्ययन

बाल विवाह पर रोक

चाइल्ड लाइन को 26 अप्रैल 2016 को जानकारी मिली कि गांव दौलतपुरा थाना रघुनाथपुर जिला-श्योपुर, में दो नाबालिग बालको क्रमशः आकाश रावत (15 वर्ष) तथा राजेश रावत (16 वर्ष) का विवाह होने जा रहा है। चाइल्ड लाइन के द्वारा इस बात की सूचना सम्बन्धित विभाग में दी गयी। चाइल्ड लाइन की टीम महिला सशक्तिकरण अधिकारी व पुलिस के साथ मिलकर गांव दौलतपुर पहुंची। जांच करने पर पता चला कि दो बालक आकाश व राजेश रावत का विवाह 27 अप्रैल 2016 को गांव टोंगा तहसील-सबलगढ जिला-मुरैना में होने जा रहा है। इसके बाद टीम बालकों के घर पहुंची। बालकों के परिवार से इस सम्बध में बातचीत की व बालकों से सम्बन्धित आवश्यक डॉक्युमेंट देखे गये, जिसमें दोनो बालक नाबालिग पाये गये।

इसके बाद टीम सदस्यों द्वारा उपस्थित लोगों की काउन्सलिंग की गयी और बाल विवाह के बारे में जानकारी देते हुए समझाया गया कि बाल विवाह एक अपराध है जिसके लिये 2 साल की सजा या 1 लाख रुपये जुर्माना भी हो सकता है। इसलिए आप अपने बालकों का विवाह 21 वर्ष के बाद ही करवाये।

27 अप्रैल 2016 को पुनः जानकारी मिली कि बालकों का विवाह नही रोका गया है तथा बालक के पिता बारात लेकर गांव टोंगा जा रहे है। इसकी सूचना चाइल्ड लाइन टीम द्वारा सम्बन्धित विभाग को दी गयी। जिस पर महिला सशक्तिकरण अधिकारी के आदेश पर इस विवाह के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए धारा 9, 10, 11 लगाई गयी व केस दर्ज किया गया जिसके परिणामस्वरूप यह बाल विवाह रुक गया।

- **चाइल्ड हेल्पलाइन चाइल्ड लाइन नम्बर 1098 के बारे में जागरूकता और पहुँच :**

बाल अधिकारों के सरंक्षण और संवर्धन के लिए समाज के विभिन्न स्तरों और वर्गो के बीच जागरूकता बनाने के लिए चाइल्ड लाइन के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिनमें समुदाय स्तरीय बैठक, बच्चों को खेल-खेल में बाल अधिकारों की जानकारी, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवसों जैसे-अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, बाल दिवस, अहिंसा दिवस, गांधी स्मृति दिवस, बाल मजदूर निशेध दिवस, किशोरी बालिका दिवस इत्यादि तथा राष्ट्रीय पर्व जैसे-स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्रत दिवस के अवसर पर शहरी और ग्रामीण लोगों, विभिन्न विभागों, विद्यालयों तथा महाविद्यालय में कार्यक्रम और प्रदर्शनी आयोजित की गई। इन कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्ध वर्ग, पंचायत प्रतिनिधियों, विधायक और जिला तथा तहसील स्तर के अधिकारी भी भागीदार बनें।

चाइल्ड लाइन से दोस्ती कार्यक्रम :

एक विषेष अभियान 'चाइल्ड लाइन से दोस्ती कार्यक्रम' के अंतर्गत नवम्बर 7 से 14, 2016 के बीच कई कार्यक्रम आयोजित किये गये।

सारणी क्रमांक–12 आयोजित किये जागरूकता कार्यक्रम की जानकारी

क्रं.	दिनांक	स्थान	विवरण
1.	15.04.2016	राम मंदिर, श्योपुर	राम नवमी पर बच्चों को चाइल्ड लाइन के बारे में जानकारी दी गयी व बच्चों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली।
2.	1.05.2016	दीनदयाल बस स्टैण्ड	मजदूर दिवस पर बस व ऑटो चालकों को चाइल्ड लाइन व बाल मजदूरी के बारे में जानकारी दी गयी
3.	17.05.2016	ब्राहमण पाड़ा आंगनवाड़ी केन्द्र	विकलांग बालिका का जन्म दिन मनाया गया व बच्चों को चाइल्ड लाइन के बारे में जानकारी दी।
4.	19.05.2016	गांव– दलारना	गांव के लोगों को चाइल्ड लाइन व बाल विवाह के बारे में जानकारी दी गयी।
5.	8.06.2016	तह.– कराहल	बच्चों को चाइल्ड लाइन व बाल मजदूरी के बारे में जानकारी दी।
6.	12.07.2016	गांव– नागदा	बच्चों को उनके अधिकारो व चाइल्ड लाइन के बारे में जानकारी दी व शा.मा. विद्यालय उनसे स्कूल से सम्बधित समस्याओं की जानकारी ली।
7.	14.07.2016	गांव– पाण्डोला मेला	लोगों को चाइल्ड लाइन व लापता बच्चे, कुपोषित बच्चे व बालविवाह के बारे में समझाया।
8.	23.06.2017	गांव–वर्धा सहराना	बच्चों को भीख न मांगने, चाइल्ड लाइन व शिक्षा दिलाने के बारे में जानकारी दी
9.	04.08.2016	विरजानन्द स्कूल	स्कूल के प्रिसिंपल व षिक्षकों को चाइल्ड लाइन के बारे में समझाया व श्योपुर बच्चों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली।
10.	12.08.2016	गांव–ढेगंदा सहराना	आदिवासी लोगों को चाइल्ड लाइन व शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया गया।
11.	09.09.2016	गांव–ढेगंदा, स्कूल	बच्चों को चाइल्ड लाइन के बारे में जानकारी दी व 1098 नम्बर का उपयोग करना सिखाया।
12.	19.12.2016	गांव –पडोला हायर सेकेन्डरी स्कूल	छात्र–छात्राओं को चाइल्ड लाइन व स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जानकारी दी।
13.	21.12.2016	गांव कोटरा, शा.मा. स्कूल व शा.प्रा. विद्यालय	छात्र–छात्राओं को चाइल्ड लाइन, बाल अधिकारों व स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जानकारी दी।
14.	17.01.2017	गांव दॉतरदा में स्कूल शा.मा. विद्यालय व शा. प्रा. विद्यालय व कोचिंग संस्थान	छात्र–छात्राओं को चाइल्ड लाइन, बाल अधिकारों व स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जानकारी दी तथा उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया।
15.	14.02.2017	आदिवासी सहराना	बाल यौन शोषण व चाइल्ड लाइन के बारे में जानकारी दी गयी।
16.	15.02.2017	गांव दांतरदा के शा. हायर सेकेण्ड्री स्कूल व गांव की बस्ती	बाल यौन शोषण व चाइल्ड लाइन के बारे में जानकारी दी गयी तथा स्कूल की समस्याओं के बारे में पूछा गया।
17.	02.03.2017	किले की बगीची का प्रा. विद्यालय व मा. विद्यालय	बाल चाइल्ड लाइन के बारे में जानकारी दी गयी व स्कूल की समस्याओं के बारे में पूछा गया।
18.	06.03.2017	गांव रायपुरा का शासकीय स्कूल	बाल यौन शोषण, बाल मजदूरी व चाइल्ड लाइन के बारे में जानकारी दी गयी तथा स्कूल की समस्याओं के बारे में पूछा गया।
19.	21.03.2017	गांव गुरूनावदा का प्रा., मा. विद्यालय व बस्तियों में	बाल यौन शोषण, बाल मजदूरी व चाइल्ड लाइन के बारे में जानकारी दी गयी तथा स्कूल की समस्याओं के बारे में पूछा गया।

- विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इस वर्ष चाइल्ड लाइन सदस्यों द्वारा की गयी कुल आउटरीच की संख्या 1502 है जिसमें व्यक्तिगत पहुँच की संख्या 1427, लघु समूह पहुँच की संख्या–37 समूह में पहुँच की संख्या–15, रात्रि पहुँच की संख्या–23 है।
- **दर्ज मामले :**

  इस वर्ष कुल दर्ज केसों की संख्या 369 है जिसमें मेडिकल के 76 केस, स्पोंसरशिप के 213 केस, प्रोटेक्शन फ्रॉम आब्यूस के 32 केस, शेल्टर के 21 केस, मिसिंग के 18 केस, चाइल्ड मेंरिज के 3 केस, डिड नोट फाइन्ड के कुल 5 केस व अनक्लासिफाईड के 1 केस रजिस्टर हुये है।
- **केस फॉलोअप :**

  चाइल्ड लाइन श्योपुर को कुल 920 केसो के फॉलो–अप दिये गये, जिसमें से बहुसंख्यक केसों का समाधान किया गया।
- **फोन टेस्टिंग :**

  चाइल्ड लाइन श्योपुर के द्वारा कुल 2064 फोन टेस्टिंग की गई।

समाज में सबसे बड़ा जो संकट है,
वो है सक्रिय-दुर्जन, निष्क्रिय सज्जन!
- डॉ. एस. एन. सुब्ब राव

9. स्वच्छ जबलपुर स्वस्थ जबलपुर अभियान

पेय जल और साफ सफाई की सुविधाएं, सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। शुद्ध पेय जल की आपूर्ति और बुनियादी साफ–सफाई, मानव और पारिथितिकी तंत्र से आपस में इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि वे समुचित स्वच्छता के साथ जुड़कर सुरक्षित और स्वस्थ जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटक बन सकते हैं। वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर हो रहे पलायन के कारण शहरी स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति एक चुनौती बना हुआ है विशेषकर शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीबों के लिए दोनों स्वच्छता और शुद्ध, सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता बड़ी समस्या है। इन दोनों पर ही मानव जीवन का स्वास्थ्य निर्भर करता है। जबलपुर नगरीय क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों के लिए स्वच्छता और पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ जबलपुर स्वस्थ जबलपुर अभियान महात्मा गांधी सेवा आश्रम के द्वारा वाटर एड संस्था के सहयोग से संचालित किया गया।

कार्यक्षेत्र व लक्ष्य समूह :

इस कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र जबलपुर नगर निगम में स्थित 29 वार्ड तथा लगभग 50000 आबादी।

लक्ष्य :

स्वच्छ जबलपुर और स्वस्थ जबलपुर अभियान के अंतर्गत वंचित समुदाय के लिए पेयजल और स्वच्छता की बेहतर सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना।

उद्देश्य :

- पेयजल और स्वच्छता की बेहतर सेवाओं के लिए समुदाय को जागरूक करना।
- पेयजल और स्वच्छता से जुड़ी सेवा प्रदाता एजेंसियों को मजबूत करना।
- पेयजल और स्वच्छता की बेहतर सेवाओं के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वयन स्थापित करना और उनको जवाबदेह बनाना।

गतिविधियां और उसकी उपलब्धियाँ :

- **समुदाय को जागरूक करना :**

जबलपुर नगर–निगम में स्थित 29 वार्डों का चयन कर वहां पर समुदाय को संगठित किया गया। पूर्व में गठित महिला समूह के सदस्यों को स्वच्छता और पेयजल के अधिकार और उनको हासिल करने के लिए जरूरी तरीकों के साथ–साथ स्वच्छता और पेयजल के महत्व को सामुदायिक बैठक, महिला समूहों की बैठक, किशोरी बालिका समूहों की बैठक, रैली और प्रदर्शन के माध्यम से बताया गया और उनकी समझ विकसित हुई। नगर–निगम की स्वच्छता और पेयजल से जुड़ी योजनाओं को हासिल करने के लिए जन पैरवी के बारे में उनकी समझ विकसित की गई। सभी वार्डों में कम्युनिटी लीड टोटल सेनीटेशन प्रक्रिया का अभ्यास कराया गया जिससे 16 वार्ड खुले में शौंच की कुप्रथा से विमुक्त हुए और 350 परिवारों नें अपने घर में शौचालय का निर्माण कराया।

- **शौचालय के सुलभ और सरल मॉडल का प्रदर्शन :**

स्वच्छता के लिए कम लागत और कम जगह में शौचालय निर्माण की सुलभ तकनीकी की जानकारी लकड़ी

के बनाये गये मॉडल से समुदाय को दी गई।

- **विशेष कार्यक्रम :**

विश्व शौचालय दिवस 19 नवम्बर 2016 और विश्व जल दिवस 22 मार्च 2017 तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2017 के अवसर पर नगर–निगम के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें नगर–निगम के प्रतिनिधि, अलग–अलग वार्डों से नागरिक पुरूष और महिलाऐं तथा प्रबुद्ध वर्ग की भागीदारी हुई।

- **आंगनवाड़ी केन्द्र और विद्यालयों में कार्यक्रम :**

बच्चों में स्वच्छता और पेयजल की व्यवहारिक और अच्छी आदतों के विकास के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा विद्यालयों में साफ–सफाई, स्वच्छता और शुद्ध पेयजल के बारे में जानकारी दी गई।

- **सेवाप्रदाता एजेंसियो को मजबूत करना :**

स्वच्छता और पेयजल से जुड़ी सेवाप्रदाता ऐजेसिंया नगर–निगम, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग की कार्य करने की प्रणाली को जन संवाद और जन सुनवाई आयोजित कर बेहतर बनाने का कार्य किया गया।

- **विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वयन स्थापित करना और जवाबदेह बनाना :**

नगर–निगम पार्षदों, मेयर, जनप्रतिनिधि, गैर सरकारी संस्थाओं, संगठनों तथा महिला समूहों और सेवा प्रदाता ऐजेंसियां जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकीय विभाग के बीच समन्वयन स्थापित करने के लिए अलग–अलग कार्य किए गए जिसके अंतर्गत सेमीनार, कार्यशाला और क्षमता विकास, प्रशिक्षण शामिल है।

- **नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूकता :**

सामुदायिक जागरूकता के लिए 25 से 30 मार्च के बीच एक विशेष अभियान के अंतर्गत 12 झुग्गी बस्तियों में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। जिसके माध्यम से शुद्ध और सुरक्षित पेयजल के उपयोग के तरीकों, शौचालय की उपयोगिता, हाथ धुलाई और साफ–सफाई के बारे में लोगों को संदेश दिया गया। इसमें 987 महिला–पुरूषों, बालिकाओं, नौजवान और बच्चों ने भाग लिया।

10. सूखा राहत कार्यक्रम

अल्पवर्षा के कारण देश व प्रदेश में पड़े सूखे की भयावह स्थिति में श्योपुर जिला भी अछूता नहीं रहा। इस साल सूखे की चपेट में यहां पर लोगों विशेषकर सहरिया आदिवासियों की हालत बहुत ही दयनीय थी। सूखे के कारण पानी के स्त्रोत सूख गये तो कहीं पर जल का स्तर बहुत ही कम हो गया था। इसके कारण लोगों तथा जानवरों को पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था और बड़ी मात्रा में पशुधन की क्षति हुई। आश्चर्य की बात तो यह थी कि इतनी भयंकर पानी की किल्लत एवं सूखे की स्थिति में भी श्योपुर के ब्लॉक कराहल को सूखा घोषित नहीं किया गया है। इस विकट परिस्थिति में आश्रम के द्वारा कराहल ब्लॉक में सूखा राहत कार्यक्रम संचालित किया गया।

लक्ष्य :

सूखे की भयावह स्थिति से लोगों विशेषकर सहरिया आदिवासियों और जानवरों को उबारने के लिए 'सबको दाना सबको पानी' अभियान।

उद्देश्य :

- बंद अथवा छतिग्रस्त जल संरचनाओं को दुरूस्त कर चालू करना जिससे इंसानों एवं जानवरों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके।
- निराश्रित एवं बेसहारा लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- काम के बदले अनाज के तहत बंद पड़ी अथवा खराब जल संरचनाओं को समुदाय के माध्यम से दुरूस्त कर जल संरक्षण का काम करना।
- पशुधन के लिए चारे की व्यवस्था करना।

कार्यक्षेत्र :

श्योपुर जिले के कराहल ब्लॉक के चयनित 26 गांव जहां पर पानी और भोजन की विकट स्थिति रही।

प्रमुख गतिविधि और उपलब्धियां–

- **टैंकर द्वारा पानी की सप्लाई :**

कुछ एक गांवों में जल स्तर लगभग 400 फुट तक नीचे चला गया। गांव के हैण्डपम्प सूख गये थे। किसी गांव में एक हैण्डपम्प को चलाने के लिये चार लोग मिलकर मेहनत करते तो थोड़ा–थोड़ा पानी आता था लगभग 20 मिनट में एक ही वर्तन भर पाता था। ऐसे गांव जहां लोग अपनी प्यास बूझाने के लिए पांच किलोमीटर से भी अधिक दूरी से बैलगाड़ी और साइकिल से पानी ढो रहे थे। जिला प्रशासन भी उन गांवों में कोई भी मदद नहीं पहुंचा पा रहे थे। इन गांवों में पेयजल परिवहन सेवा प्रारंभ कर लोगों को पीने हेतु पानी उपलब्ध कराया गया। इसी क्रम में संस्था द्वारा पेयजल हेतु हेल्प लाइन नंबर सेवा भी प्रारंभ की जिससे कि फोन पर सूचना मिलने पर 2 घण्टे में पानी पहुचाया जा सके। टैंकरों से पानी उपलब्ध कराने के कार्य का प्रारंभ जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक सहित नगर पालिका अध्यक्ष श्योपुर द्वारा टैंकर को हरी झण्डी दिखाकर की गयी। ऐसे 12 गांव में चार टेंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति की गई। यह जलापूर्ति 01 अप्रैल से लेकर 20 जून 2016 तक की गई। वर्षा शुरू होने से जल स्रोतों में पानी आ जाने के बाद इसे बंद किया गया।

- **निःशक्त, निःसहायों को खाद्यान्न :**

ऐसे 403 परिवारों का चिन्हित किया गया जो निःशक्त एवं निःसहाय थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति परिवार में नहीं था। इन सभी 403 परिवारों को तीन महीने तक आटा, दाल, नमक तथा तेल उपलब्ध कराया गया एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या पड़ोसी के माध्यम से उनको नियमित रूप से पका हुआ भोजन की उपलब्धता सुनिष्चित की गई।

- **बोरवेल से पानी निकालने के लिए जनरेटर सेट और डीजल की व्यवस्था :**

पंचायतों के अधीनस्त बोरबेल जिन्हें चलाने हेतु गांव समिति के लोगों को हर माह एक मुस्त राशि पंचायत में जमा कराकर पीने के पानी हेतु जनरेटर में डीजल की व्यवस्था करना होता है। लेकिन बेरोजगारी और गरीबी के कारण लोगों के पास इतना पैसा नहीं कि लोग स्वयं के व्यय पर जनरेटर चलाने हेतु डीजल लेकर अपनी प्यास बुझा सकें। इन गांवो में डीजल व्यवस्था कर यहां के लोगों को प्रतिदिन एक घण्टा सुबह-शाम पीने का पानी उपलब्ध हो सके साथ ही साथ बेजुबान जानवरों जो कि पानी की कमी के कारण अकारण ही काल के गाल में समा रहे है उन्हें भी पीने योग्य पानी मिल सके जिसके लिये जनरेटर डीजल के साथ साथ जहां पानी की संरचनाये नहीं थी वहां गढ्ढे खुदवाकर जानवरों हेतु पीने के पानी की व्यव्स्था की गयी।

कपूरिया गांव जिसमें कुल 103 परिवार निवास करते हैं। जो अपनी प्यास बुझाने के लिए पांच हैंडपंपों पर निर्भर है, इस गांव में पुराने तीन तालाब भी बने हैं। इस गांव में लगभग 700 गाय-बैल एवं बकरियां हैं परन्तु इन तालाबों की सही देख-रेख न होने के कारण बरसात के बाद सिर्फ दो-तीन महीनें ही पानी रहता है। ऐसी स्थिति में पशुओं के लिए भी पानी की गंभीर समस्या पैदा हो रही है जिस कारण यहां पर पानी नहीं रूक पाता एवं पानी का भंडारण न होने की एवं लगातार कम वर्षा होने से भूजल स्तर लगभग 400 से 450 फीट के आसपास चला गया। यहां पानी की कमी के चलते मवेशियों की हालत अत्यंत दयनीय बनी हुई थी क्योंकि गांव में पानी न होने के कारण जानवर जंगल की ओर पलायन कर गये। सामुदायिक बैठक के दौरान नरपत आदिवासी ने बताया कि ''हमारे गांव में पानी की गंभीर समस्या है लोग तीन किमी. की दूरी से पानी लाने को मजबूर हैं। ऐसे में जब हमें ही पानी नहीं मिल रहा तो पशुओं को कहां से पानी पिलायें। रंगू आदिवासी ने बताया कि ''गांव में पानी नहीं मिलने से यहां के पशु जंगल में बने बावड़ी में पानी के लालच में जाते हैं और उस बावड़ी में गिरकर अपनी जान गवां देते हैं''। गांव में बिजली न होने के कारण इतने कम जल स्तर पर पानी की सप्लाई हेतु बोरवेल में मोटर पंचायत द्वारा पूर्व में डाली गयी थी लेकिन जनरेटर नहीं होने के कारण पेयजल आपूर्ति बंद थी। अतः काल के ग्रास से लोगों को बचाने के लिए है तो तत्काल जनरेटर की व्यवस्था की गयी जिससे गांववासियों एवं जानवरों को पेयजल की व्यवस्था हो सकी।

- **बंद पडी जल संरचनाओं की मरम्मत कर जलापूर्ति बहाल करना :**

ग्राम मयापुर में आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते है। गांव की बसाहट तीन बस्ती जिसमें मोहर का सहराना, खजूरवाला सहराना, सरपंचवाला सहराना में बसा हुआ है। यहां के लोगों के पास अपनी स्वयं की जमीन तो है लेकिन वह केवल एक वर्षा की फसल का लाभ ले पाते हैं क्योंकि बाकी समय में यहां पर पानी की कमी रहती है। संस्था के द्वारा गांव में सरपंच बाला सहराना छोटी कालोनी में जीर्ण-षीर्ण हालत में स्थित पानी की टंकी को पुनः मरम्मत कराकर तथा बोरवेल में खराब पड़ी मोटर को निकालकर नई मोटर डाली गई। इसी तरह से ग्राम सेसईपुरा के अंतर्गत इन्द्रा कालोनी में लगभग 40 घर आदिवासी समुदाय जिनमें कुछ लोगों के पास अपनी स्वयं की जमीन तो है लेकिन वह केवल एक वर्षा की फसल का लाभ ले पाते हैं। यहां अन्य समुदाय जैसे गुर्जर एवं

यादव बस्ती में हैण्डपम्प एवं बोरवेल की उपलब्धता है लेकिन आदिवासी बस्ती में केवल एक हैण्डपम्प आंगनबाडी पर लगा हुआ है और वह भी अधिकतर समय तक खराब पड़ा रहता है जिससे बस्ती के लोगों को पानी के लिये दूर गुर्जर बस्ती में जाना पडता। अन्य समुदाय के लोग पहले अपना पानी भरते और बाद में आदिवासी समुदाय को पानी भरने देते। जातिगत भेदभाव के कारण भी आदिवासी समुदाय के लोगों को पानी के लिये दिनभर संघर्ष करना पडता। जिससे गर्मी के मौसम में यहां पानी की समस्या अत्यंत गंभीर हो जाती है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए आश्रम के द्वारा बंद पडी टंकी की मरम्मत करवाकर बोरवेल में पानी की मोटर डाल दी गयी जिससे आज की स्थिति में वहां निवासरत ग्रामीण जनों को पर्याप्त पानी मिलने लगा है जिससे वहां के निवासरत लोगों को पीने के पानी की समस्या से मुक्ति मिल गयी है एवं लोगों के साथ ही पशुओ के लिये भी पीने का पानी भी उपलब्ध होने लगा है।

- **जल संरक्षण व संवर्धन के लिए संरचना का पुनर्निर्माण :**

लोगों के पास न तो रोजगार था और न ही खाद्यान्न, इस विकट स्थिति में काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम का संचालन चार गांवों में किया गया। जिसमें 650 लोगों ने कार्य किया एवं 450 क्विंटल अनाज का वितरण हुआ। इन चारों गांवों में चार बांधों का निर्माण पूरा किया गया जिसके परिणाम स्वरूप उन गांवों में भूजल का स्तर बढ़ा और मवेशी तथा सिंचाई के लिए पानी रूका। एक गांव में 54 बीघा जमीन में खेती के लिए पानी देकर सरसों पैदा की गई। एक गांव में सूखा हुआ कुंआ रिचार्ज हुआ, जिसमें अभी भी 7 फीट पानी भरा है। यह काम सावड़ी, अधवाड़ा, कपूरिया तथा गांधी धाम में किया गया।

- **पशुधन के लिए चारा :**

सूखे की भयावह स्थिति के कारण पशुधन भोजन की तलाश में दर दर भटक रहा था तथा लोगों द्वारा अपनी गायों को चारे के अभाव में छोड़ दिया गया, जो भूख व प्यास के कारण मर रहीं थीं। इनके लिए एक चारा डिपो की स्थापना कराहल में की गई जहाँ दो रूपये प्रति किलोग्राम में भूसा उपलब्ध कराया गया।

- **हैण्डपम्प मरम्मत :**

जहां एक ओर निरंतर गिरते भूजल स्तर के कारण सभी जगहों पर पानी का स्तर में गिरावट हो रही थी वहीं गांवों में पेयजल आपूर्ति हेतु एक मात्र साधन हैण्डपम्प भी साथ छोड रहे थे प्रशासन का अपेक्षित सहयोग भी नहीं मिल पा रहा था। गांवों के हैण्डपम्प भी खराब हो रहे थे जिस कारण भयंकर जल संकट की स्थिति का निर्माण हो गया इस जल संकट से निजात पाने हेतु प्रशासन से अपेक्षित सहयोग की मांग की गयी लेकिन विभागीय रूप से सकारात्मक सहयोग नहीं मिला जिसके परिणाम स्वरूप जहां पर पेयजल समस्या काफी गंभीर थी उन गांवों में संस्थागत हस्तक्षेप द्वारा उन गांवों के खराब पड़े हैण्डपम्पों को सुधरवाया गया।

- **जल संरचनाओं को रिचार्ज करना :**

जल स्तर के निरंतर गिरने से हैंडपंप, कुंआ तथा बोरवेल सूखते जा रहे हैं ऐसी स्थिति में तकनीकी संस्था एफ्रो की मदद से चार गांवों में 22 संरचनाओं का निर्माण किया गया। प्रत्येक संरचना से औसतन 6 लाख लीटर पानी जमीन के अंदर डालने की योजना तैयार की गई। धरती के अंदर पानी डालने की संरचना बनार, झरेर, अजनोई, डाबली आदि गांव में बनाई गईं। हालांकि इन गावों में जल स्तर बढ़ाने में इन संरचनाओं का आंशिक प्रभाव हुआ है।

- सूखा राहत कार्य के अंतर्गत काम के बदले अनाज में किये गये कार्य के परिणामस्वरूप जहां पीने को पानी नहीं था वहां आज पीने योग्य पानी वर्तमान में उपलब्ध है एवं पशुओं को भी पर्याप्त पानी मिल रहा है। बनाई गयी जल संरचनाओं के कारण पानी का जमीनी स्तर बढ़ा है परिणाम स्वरूप सूखे हैण्डपम्प और कुएं रिचार्ज हुए।

- कार्य की तीव्रता, प्रभाव और प्रबंधन तथा जनभागीदारी को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर संवेदना जगी और बिजलीविहीन कपूर्या एवं डावली गांव में बिजली सप्लाई शुरू कराई गयी जिससे गांव में जल संकट से लोगों को निजात मिली है।

- समुदाय जागरूक होकर अपनी समस्याओं के प्रति मुखर हुआ और जनसुनवाई में अपनी समस्याओं को लेकर आवेदनों को लगाने लगा है।

- आश्रम के कार्य के प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन नें पेयजल संकट वाले गांवो को चिन्हित कर पेयजल परिवहन एवं अन्य मदद हेतु कार्ययोजना तैयार की।

सारणी क्रमांक-13 पानी की उपलब्धता के लिए किये गये प्रयास व लाभान्वित परिवार

हस्तक्षेप	कुल गांव	लक्ष्य परिवार संख्या	कुल लाभांवित जनसंख्या
पानी टेंकर सप्लाई	09	748	3822
जनरेटर के लिये डीजल	09	1208	5801
जनरेटर उपलब्ध	01	104	434
हैंडपंप मरम्मत	10	875	4480
बंद जल संरचनाओं की मरम्मत	03	260	1325
कुल	32	3195	15862

11. जैविक खेती प्रोत्साहन केन्द्र व जैविक खाद निर्माण

वर्तमान में खेती–किसानी महंगे रासायनिक खाद व बीज के कारण संकट के दौर से गुजर रहा है। यही कारण है जिससे एक तरफ अन्नदाता किसान निराश और हताश होकर आत्महत्या कर रहे हैं तो दूसरी ओर रासायनिक खाद, कीटनाशक खरपतरवार नाशक दवाईयों के अधांधुंध प्रयोग से जमीन की उपजाऊ क्षमता निरंतर कमजोर और खेती बंजर धरती के रूप में तब्दील हो रही है। अनाज की गुणवत्ता कमजोर हुई है तथा विभिन्न प्रकार के गंभीर बीमारियों का कारण बन रही हैं। इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में सीमांत किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करने के लिए महात्मा गांधी सेवा आश्रम जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालित कर रहा है।

उद्देश्य :

- सीमांत किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करना।
- किसानों को जैविक खाद के उपयोग की जानकारी देना।

गतिविधियां और उपलब्धि :

- **जैविक खेती प्रोत्साहन केन्द्र वर्धा :**

श्योपुर जिले में वर्धा में स्थित आश्रम की खेती की जमीन पर जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत खेती के कुछ भू–भाग पर तैयार आवंला के पौधे से आदिवासी किसान प्रेरणा ले रहे हैं। इस वर्ष प्रतिकूल मौसम के कारण आवंला का उत्पादन कम हुआ। इसी तरह से कुछ भूभाग पर जमीन में कीटों के नाश के लिए रोपित किये गये नीम के पेड़ का प्रभाव सकारात्मक तरीके से दिखाई पड़ रहा है। इस केन्द्र पर सीमांत किसानों के लिए जैविक प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है। इस खेती के अंतर्गत 7 क्विंटल बाजरा (7000 रूपये), 7 क्विंटल अरहर (21000 रूपये), 151.80 क्विंटल गेंहू (220070 रूपये) तथा 13.92 क्विंटल सरसो (40188 रूपये) का उत्पादन हुआ। विगत वर्ष खेती के विकास के लिए भूमि समतलीकरण का काम कराया गया जिसमें 262600 रूपये खर्च किया गया।

- **जैविक खाद निर्माण केन्द्र जौरा :**

महात्मा गांधी सेवा आश्रम, जौरा के प्रांगण में 22–45 फीट भूमि पर वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई का निर्माण कराया गया है। जिसमें 3.5–9.5 फीट का 18 पिट का निर्माण कराया गया है जो 2 फीट गहरा है। पूरे जगह को एंगल और टीन से अच्छादित किया गया है। तकनीकी सहयोग और प्रारूप मुरैना जिला के कृषि विज्ञान केन्द्र से लिया गया है। वर्तमान में आइसीया पोइसिडा प्रजाति के केंचुए को कम्पोस्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसके द्वारा उत्पादित कम्पोस्ट खाद की 1 किलोग्राम और 5 किलोग्राम पैकिट में तैयार कर विपणन का कार्य भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस केन्द्र पर आने वाले स्थानीय किसानों को कम्पोस्ट खाद उत्पादन सिखाया जाता है और उनका समस्याओं तथा शंकाओं को दूर किया जाता है। इस कार्य को स्थानीय स्तर पर सराहा जा रहा है। इस कार्यक्रम को आत्मसमर्पित बागी श्री बहादुर भाई देख रेख कर रहे है।

- **जैविक खेती व खाद के उपयोग के लिए जागरूकता और प्रदर्शनी :**

संस्थागत महत्वपूर्ण आयोजन में केचुआ खाद की प्रदर्शनी लगायी गयी। प्रदर्शनी के दौरान तथा केन्द्र से कुल 59870.00 रूपये के खाद की बिक्री हुई। केचुआ खाद का उत्पादन लगातार हो रहा है।

12. भाई जी शांति एवं सद्भावना केंद्र

पूरे देश और दुनिया में शांति एवं सद्भावना को स्थापित करने में भाई जी ने महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक प्रयास किये हैं। चम्बल घाटी में बागी आत्मसमर्पण, देश भर में युवा शिविरों के माध्यम से श्रम की महत्ता, देश की एकता अखण्डता, साम्प्रदायिक सद्भावना, सर्व धर्म सम्भाव, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत शिविर जैसे कार्य के माध्यम से भाई जी युवाओं के लिए प्रेरणास्तंभ हैं। भाई जी संस्था निर्माण के बजाय कार्यकर्ता निर्माण पर ज्यादा जोर देते हैं। इसकी उपलब्धि ही रही है कि इस समय देश के कोने–कोने में भाई जी से प्रेरित होकर लाखों नवजवान समाज सेवा का पुनीत कार्य कर रहे हैं और वंचित समुदाय के अधिकारों को हासिल करने तथा समतामूलक समाज के लिए प्रयासरत हैं।

लक्ष्य :

भाई जी के विचारों को प्रचार प्रसार के लिए जौरा में भाई जी शांति व सद्भावना केन्द्र की स्थापना।

उद्देश्य :

भाई जी के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए जौरा में शांति व सद्भावना केन्द्र के माध्यम से भाई जी के कार्यो को संकलित, संग्रहित करने लिए संग्रहालय निर्माण करना और जिससे कि आने वाली पीढ़ी भाई जी के कार्यो से प्रेरणा ले सके।

गतिविधियां और उपलब्धियाँ :

- महात्मा गांधी सेवा आश्रम जौरा के प्रांगण में एक दो मंजिला संग्रहालय केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है। यह कार्य आने वाले छ माह में लगभग पूर्ण हो जायेगा। इस केन्द्र में भाई जी के कार्यो से जुड़ी जानकारियों का संग्रह किया जायेगा।
- इस केन्द्र को 50 लोगों के रूकने और 100 से 500 लोगों की बैठक अथवा प्रशिक्षण करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जायेगा।
- संग्रहालय को अत्याधुनिक तरीके से निर्मित किया जायेगा, जिससे कि कम समय में लोग भाई जी के कार्यो के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें।

13. भाई जी का जन्मोत्सव समारोह

चंबल घाटी के मुरैना जिले के महात्मा गांधी सेवा आश्रम जौरा के प्रांगण में 7 फरवरी 2017 को जुटे देश के 22 राज्यों के 500 से ज्यादा लोग। मौका था 88 साल के नौजवान के जन्मदिन का। प्रख्यात गांधीवादी डा. एस. एन. सुब्बराव (भाई जी) वैसे तो अपना जन्मदिन मनाना पसंद नहीं करते पर देश भर में हजारों चाहने वालों के आग्रह पर एक आयोजन होता है जिसमें सैकड़ो युवा पहुंच कर एक साथ बैठते हैं और राष्ट्र निर्माण के लिए सृजनात्मक गतिविधियों में शामिल होने के लिए एक बार फिर प्रण लेते हैं। इस बार महात्मा गांधी सेवा आश्रम जौरा में हुए तीन दिवसीय शिविर में जल पुरुष राजेंद्र सिंह, एकता परिषद के पीवी राजगोपाल, पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम जैसे खास लोग विशेष तौर पर पहुंचे थे। ये सभी कभी सुब्बराव जी के साथ काम कर चुके हैं और उनकी प्रेरणा से आज अलग अलग क्षेत्रों में बड़ा मुकाम हासिल किया है।

मनकामेश्वर मंदिर में रूद्राभिषेक और जौरा नगर में भाई का स्वागत :

इससे पहले सुबह-सुबह जौरा स्थित मनकामेश्वर मंदिर में भाई जी के साथ गांधी आश्रम के सदस्यों ने रूद्राभिषेक कर भाई जी के दीर्घायु होने की प्रार्थना की। उसके बाद जौरा बाजार में पदयात्रा की गई, जिसमें जगह-जगह पर नागरिकों ने भाई जी और उनके साथ देशभर से जुटे नौजवानों पर पुष्पवर्षा की। जगह-जगह लोगों ने जलपान कराया। कई जगहों पर भिन्न-भिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं द्वारा पंक्तिबद्ध होकर भाई जी का अभिनंदन किया।

निष्ठा से काम करना ही सबसे बड़ी पूजा है : सुब्बराव

दोपहर में हुए समारोह में एस.एन सुब्बराव जी ने कहा कि निष्ठा से काम करना ही सबसे बड़ी पूजा है। लोग अपने-अपने धर्म के अनुसार सुबह-सुबह मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरूद्वारे में जाते हैं मगर काम के प्रति ईमानदार नहीं होते। सुब्बराव जी का जन्मदिन अहिंसा दिवस के रूप में मनाया गया।

बागियों के आत्मसमर्पण स्थल पर विशाल स्मारक बनेगा :

शाम को हुई सर्वधर्म प्रार्थना के बाद सुब्बराव जी ने कहा कि एक बादशाह द्वारा आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया गया जिसे दुनिया देखने आती है। पर वह ताजमहल क्या है? एक पत्नी की याद में बनवाया गया स्मारक है, पर आगरा से कुछ घंटे की दूरी पर स्थित जौरा का महात्मा गांधी सेवा आश्रम वह प्रेरक धरती है जहां 1972 में 654 बागियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपनाया। इसलिए इस समर्पण स्थली पर भी एक स्मारक बनना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोगों को प्रेरणा मिले। उन्होंने समर्पण स्थली पर स्मारक बनाने के लिए लोगों से सहयोग देने की अपील की। अगर सभी लोग दस-दस रूपये दें जो अहिंसा का एक जीता जागता स्मारक तैयार हो सकेगा जो पूरी दुनिया के लोगों के लिए प्रेरणा का केन्द्र होगा। भाई जी के आह्वान पर देश भर से आए युवाओं ने अपनी अपनी ओर से स्मारक निर्माण के लिए राशि दान करने का ऐलान करना शुरू कर दिया।

जौरा को भी नशामुक्त धरती बनाएं :

इस मौके पर सुब्बराव जी ने कहा कि जौरा मेरी कर्मभूमि हैं जिसे आज हमें नशामुक्त बनाने का भी प्रण लेने की आवश्यकता है। अभी मैं पटना से शिविर करके लौटा हूं। मैंने वहां देखा कि पिछले दिनों में बिहार में नशामुक्ति का जो कार्यक्रम बिहार में चलाया गया है उसके वहां सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे हैं।

उनके सिद्धान्तों पर अमल करना ही सबसे बड़ी शुभकामना :

इस मौके पर एकता परिषद के संस्थापक डा. पी.व्ही. राजगोपाल (राजू भाई) ने कहा कि हम भारतीय लोग अपने त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं पर उसमें निहित शिक्षाओं को भूल जाते हैं। भाई जी के जन्मदिन पर उनके सिद्धान्तों पर अमल करना ही सबसे बड़ी शुभकामना होगी। जलपुरूष राजेन्द्र सिंह ने कहा कि भाई जी युवाओं के लिए प्राणवायु हैं, ईश्वर उनको लम्बी उम्र दे जिससे कि देश में उनके नेतृत्व में नई क्रांति का सूत्रपात हो सके। एकता परिषद के अध्यक्ष डाक्टर रनसिंह परमार ने कहा कि चम्बल की धरती भाई जी के प्रति सदैव ऋणी रहेगी, जिन्होनें बागी आत्मसमर्पण से हिंसा के वातावरण को सदैव के लिए श्रमशिविरों के माध्यम से समाप्त किया। इस मौके पर नशामुक्ति आंदोलन के संयोजक डा. सुनीलम, नगर परिषद की अध्यक्ष श्रीमती ऊषा सिंघल, पूर्व विधायक सत्यभानु चौहान, महेशदत्त मिश्र, कैलाश मित्तल इत्यादि ने भाई जी के अभिनंदन पर सम्बोधित किया।

भाई जी के आलोक में चंबल का विमोचन :

महोत्सव में एसएन सुब्बराव (भाई जी) के साथ जुड़े संस्मरणों पर अनिल गुप्ता, जगदीश शुक्ला, कुलदीप तिवारी और रनसिंह परमार के द्वारा सम्पादित एक स्मारिका 'भाई जी के आलोक में चम्बल' का विमोचन किया गया। इस स्मारिका में चंबल घाटी में भाईजी द्वारा जो सेवा के प्रकल्प चलाए गए उसके बारे में कई सुधिजनों के संस्मरण और दुर्लभ तस्वीरें हैं।

देश भर के साथियों ने की मंगलकामना :

महोत्सव में विभिन्न संस्थाओं, नागरिक संस्थाओं और जनसंगठनों के प्रतिनिधियों ने स्मृति चिन्ह, फूलमाला, अंगवस्त्र, श्रीफल देकर भाई जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। जिसमें भाई जी का 89वां जन्मदिन समारोह आयोजन समिति की ओर से अध्यक्ष व सदस्य, एकता परिषद, नगर परिषद जौरा, राष्ट्रीय युवा योजना के प्रांतीय इकाईयों उत्तरप्रदेश के आर.सी.गुप्ता, बिहार के नीरज, उडीसा के मधुभाई, छत्तीसगढ़ के विनय भाई, महाराष्ट्र के नरेन्द्र भाई, पंजाब के गुरुदेव सिंह सिद्धू, राजस्थान के हनुमान सहाय शर्मा, मध्यप्रदेश के डा. महेंद्र नागर, दिल्ली के विद्युत प्रकाश मौर्य, डीएस लम्कोटी जी इत्यादि प्रतिनिधियों के साथ बहुत सारे नवयुवक, नवयुवतियों और महात्मा गांधी सेवा आश्रम जौरा के कार्यकारिणी सदस्य, बागचीनी के किसान नेता परशुराम सिंह सिकरवार, जनअभियान परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष डा. अजय मेहता सहित आत्मसमर्पित बागियों तथा महात्मा गाँधी सेवा आश्रम परिवार ने भाई जी को शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम का कुशल संचालन उत्तर प्रदेश के अजय पाण्डेय तथा डा. राधाशरण सिंघल ने किया।

14. आगामी कार्ययोजना

महात्मा गांधी सेवा आश्रम जौरा के द्वारा संचालित किये जाने वाले कार्यक्रमों की वित्तीय वर्ष 2017–2018 की आगामी कार्ययोजना निम्न प्रकार है–

1. आर्थिक एवं रोजगार मूलक कार्यक्रम

1.1 खादी

1.1.1 200 नए चरखों के माध्यम से 200 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना

1.1.2 25 नए करघे स्थापित करना और इससे 75 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना

1.1.3 10 बार्विन भरने वाली इकाई लगाना इनसे १० लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना

1.1.4 05 लोगों को रंगाई में रोजगार उपलब्ध कराना

1.1.5 02 खादी भंडारों का नवीनीकरण करना

1.1.6 04 नए कार्यकर्ताओं को खादी बिक्री से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराना।

1.2 मधुमख्खी पालन

1.2.1 200 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना

1.2.2 200 महिलाओं को मधु मख्खी पालन में प्रशिक्षण प्रदान करना

1.2.3 05 लोगों को शहद प्रोसेसिंग में रोजगार देना

1.2.4 15 लोगों को शहद बिक्री में रोजगार उपलब्ध कराना।

1.3 तेलघानी की इकाई स्थापित करना

1.4 कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना

1.5 कौशल विकास केंद्र की स्थापना करना

2 खाद्य सुरक्षा एवं पोषण विविधता कार्यक्रम

2.1 सहभागी सीख प्रिक्रिया के तहत 1.47 लाख महिलाओं तक सीख प्रक्रिया को पहुँचाना

2.2 2000 परिवारों में पोषण वाड़ी के विकास के तहत 20000 फलदार पौधों का रोपण करना

2.3 समुदायक स्कोर कार्ड के माध्यम से खाध्य सुरक्षा की योजनाओं तक लोगों की पहुँच बढ़ाना

2.4 समुदाय को जागरूक कर सभी बिकाश की योजनाओं में भागीदारी बढ़ाना।

3 बेटी पढ़ाओ अभियान

3.1 पढाई छोड़ चुकी 1200 बालिकाओं की पहचान करना

3.2 40 शिक्षा केंद्र का संचालन करना

3.3 सभी बालिकाओं को शासकीय विद्यालय में 6 वीं कक्षा में भर्ती करावा कर शिक्षा की मुख्य धारा में

लाना।

4 चाइल्ड लाइन 1098 लोगों की टीम के साथ 24 घंटे बच्चों की सहायता में तत्परता के साथ कार्य

5 वनाधिकार एवं भूमि अधिकार अभियान

5.1 देश के 6 राज्यों में अभियान का संचालन

5.2 800 गाँव में लगभग 50,000 लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करना

5.3 10,000 लोगों को आवासीय भूमि अधिकार दिलाना

5.4 5000 लोगों के व्यक्तिगत दावे लगाना

5.5 200 समुदायक दावे लगाना।

6 कपास की खेती में लगे बाल मजदूरों की मुक्ति व पुनर्वास

6.1 धार जिले के 02 विकास खण्डों के 50 गाँव में योजना का संचालन

6.2 लगभग 2000 बच्चों को शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन कराना

6.3 बाल मजदूरी से लगभग 500 बच्चों को बाहर लाना

6.4 50 पंचायतों में बाल अधिकार समितियों का गठन करना।

7 दीनदयाल रसोई योजना में गरीबों को भोजन की उपलब्धता

7.1 लगभग 500 लोगों को प्रतिदिन भर पेट भोजन केवल 5 रुपये में उपलब्ध कराना

7.2 इस योजना का संचालन जनसहयोग से करना।

8 जबलपुर शहर में स्वछता अनुश्रवण

8.1 जबलपुर में 07 लोगों की टीम के माध्यम से स्वछता कार्यक्रम की निगरानी करना

8.2 नगर निगम जबलपुर को सहायता उपलब्ध कराना।

भाई जी शांति एवं सद्भावना केन्द्र प्रारूप

Negetive words Like anger, Hatred, ill
will should give way to Positive Feelings Like
Love, Harmony, Faith and Brotherhood.
-Dr. S.N. Subba Rao